

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 अक्टूबर 2013—आश्विन 12, शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2013

क्र. ई-5-674-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस. के. मिश्रा, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित को दिनांक 26 अगस्त 2013 से 3 सितम्बर 2013 तक, नौ दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश, दिनांक 25 अगस्त 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है.

2. श्री एस. के. मिश्रा की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम को अपने

वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी, आदेश तक सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2013

क्र. ई-5-635-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रमेश एस. थेटे, आयएएस., उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 1 जुलाई 2013 से 10 सितम्बर 2013 तक, बहत्तर दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री रमेश एस. थेटे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाशकाल में श्री रमेश एस. थेटे को, अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रमेश एस. थेटे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2013

क्र. ई-1-260-2013-5-एक.—श्री अनुराग श्रीवास्तव, भावसे (1986), आयुक्त-सह-संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मध्यप्रदेश के दिनांक 02 से 27 सितम्बर 2013 तक की प्रशिक्षण अवधि में उनका प्रभार श्री आर. के. श्रीवास्तव, भाप्रसे (1993), आयुक्त जनसंपर्क एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2013

क्र. ई-5-713-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री अरूण कुमार पाण्डे, आयएएस., कमिश्नर, उज्जैन संभाग, उज्जैन को दिनांक 15 से 17 जुलाई 2013 तक तीन, दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री अरूण कुमार पाण्डे को, अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरूण कुमार पाण्डे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-821-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री एस. सुहेल अली, आयएएस., सचिव, राजस्व मण्डल, ग्वालियर को पूर्व में स्वीकृत (दिनांक 8 से 12 जुलाई 2013 तक) अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 13 से 19 जुलाई 2013 तक, सात दिन का लघुकृत अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 20 एवं 21 जुलाई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री एस. सुहेल अली को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. सुहेल अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2013

क्र. ई-5-485-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. पी. सिंह, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग को दिनांक 22 से 27 अगस्त 2013 तक छः दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश काल में श्री के. पी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी. सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-560-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री मोहम्मद सुलेमान, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग को दिनांक 23 सितम्बर 2013 से 1 अक्टूबर 2013 तक, नौ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21, 22 सितम्बर 2013 एवं 2 अक्टूबर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री मोहम्मद सुलेमान की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री मनीष रस्तोगी, भाप्रसे सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद सुलेमान को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री मोहम्मद सुलेमान द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनीष रस्तोगी उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री मोहम्मद सुलेमान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहम्मद सुलेमान, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-834-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती रजनी उईके, आयएएस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सचिव, मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग को दिनांक 10 से 13 सितम्बर 2013 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रजनी उईके को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सचिव, मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाश काल में श्रीमती रजनी उईके को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रजनी उईके अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2013

क्र. एफ-19-01-2006-एक-4.—भारत के संविधान के अनुच्छेद-243 के खण्ड-(K), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त के पद पर श्री आर. परशुराम, भा.प्र.से. (1978) को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 06 वर्ष या 66 वर्ष की आयु पूर्ण होने, जो पहले हो, तक की अवधि के लिए नियुक्त करते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुरेश, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2013

क्र. एफ-ए-5-10-2013-एक-(1).—राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री प्रकाश श्रीवास्तव, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर, खण्डपीठ इंदौर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:—

| अ. क्र. | अवकाश अवधि | कुल दिन | अवकाश का प्रकार | अभियुक्ति |
|---------|--|---------|-----------------------------|---|
| 1. | दिनांक 17 जून 2013 से दिनांक 03 जुलाई 2013 तक. | 17 दिन | पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित. | दिनांक 15 एवं 16 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित. |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
संशोधन

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2013

क्र. एफ-06-03-2012-चौवन-1.—मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-08-05-पच्चीस-4-1984, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 की सूची के

सरल क्रमांक-74 पर अंकित "दांगी" जाति को अधिसूचित किया गया है. उक्त में संशोधन कर अब निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती है:—

| पिछड़ा वर्ग की सूची क्रमांक | जाति | परम्परागत व्यवसाय | कैफियत |
|-----------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------|
| 74 | दांगी/डांगी | कृषक | राजपूत इस सूची में सम्मिलित नहीं. |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरजना रे, प्रमुख सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2013

फा. क्र. 3(ए) 1-2001-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ, श्री जगत मोहन चतुर्वेदी, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी की सेवाएं, उनके द्वारा कार्यभार सौंपने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति से वापस कर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2013

फा. क्र. 1(सी) 27-2006-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 अगस्त 2012 द्वारा विशेष न्यायालय (एट्रोसिटी) जिला दमोह के लिये विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्त श्री राजीव सिंह ठाकुर की नियुक्ति एतद्द्वारा, निरस्त करता है.

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2013

फा. क्र. 1(बी)-29-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री बाबुलाल मण्डलोई पुत्र स्व. श्री चेताराम मण्डलोई, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये खण्डवा सत्र खण्ड के खण्डवा राजस्व जिले के लिये लोक अभियोजक जिला खण्डवा नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

टीपः—श्री बाबुलाल मण्डलोई की जन्म तिथि 24 जनवरी 1960 (चौबीस जनवरी उन्नीस सौ साठ) है और उनकी दिनांक 23 जनवरी 2022 (तैईस जनवरी दो हजार बाईस) को आयु 62 वर्ष पूर्ण होगी।

फा. क्र. 1(बी)-3-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा श्रीमती जयन्ती पौराणिक पति श्री कौशल पौराणिक, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये देवास सत्र खण्ड के देवास राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक जिला देवास नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

टीपः—श्रीमती जयन्ती पौराणिक की जन्म तिथि 25 जनवरी 1971 (पच्चीस जनवरी उन्नीस सौ इकहत्तर) है और उनकी दिनांक 24 जनवरी 2033 (चौबीस जनवरी दो हजार तैंतीस) को आयु 62 वर्ष पूर्ण होगी।

फा. क्र. 1(बी)-29-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा श्री रामसेवक वर्मा पुत्र श्री मिट्ठूलाल वर्मा, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये खण्डवा सत्र खण्ड के खण्डवा राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक जिला खण्डवा नियुक्त करता है, तथापि यह

नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

टीपः—श्री रामसेवक वर्मा की जन्म तिथि 1 जुलाई 1965 (एक जुलाई उन्नीस सौ पैसठ) है और उनकी दिनांक 30 जून 2027 (तीस जून दो हजार सत्ताईस) को आयु 62 वर्ष पूर्ण होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2013

क्र. 6844-इक्कीस-अ(स्था).—श्री के. डी. खान प्रमुख सचिव, विधि को दिनांक 04 से 13 सितम्बर 2013 तक, कुल दस दिवस (20 दिवस) का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी दर पर देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने से पूर्व प्राप्त होते।

प्रमाणित किया जाता है श्री के. डी. खान, प्रमुख सचिव, विधि अवकाश पर नहीं जाते तो प्रमुख सचिव, विधि एवं विधि परामर्शी के पद पर कार्यरत रहते।

अतः उनके खाते में शेष 262 दिवस के लघुकृत अवकाश की पात्रता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव म. आपटे, अतिरिक्त सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2013

फा. क्र. 17(ई) 8-2012-3744-इक्कीस-ब(एक).—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का. सं. 49) की धारा 3 की उपधारा (1) साथ पठित मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 8 सन् 2012) की धारा 3 उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17(ई)8-2012-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 मार्च, 2012 में जो "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक 2 मार्च, 2012 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक 5 और 6 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुसूची

| अनुक्रमांक | न्यायाधीश का नाम | मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 की धारा 3(1) के अधीन गठित विशेष न्यायालय का नाम | मुख्यालय |
|------------|--|---|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| “5 | श्री संजय चतुर्वेदी, षष्ठम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर. | विशेष न्यायालय क्रमांक 1, ग्वालियर. | ग्वालियर |
| 6 | श्री पवन कुमार शर्मा, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर. | विशेष न्यायालय क्रमांक 2, ग्वालियर. | ग्वालियर.” |

F. No-17(E)8-2012-3744-XXI-B-(1).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalya Adhiniyam, 2011 (No. 8 of 2012) read with sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in this department's Notification F. No.-17(E)8-2012-/21-B(1), dated 2nd March, 2012 which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-Ordinary) dated 2nd March, 2012 namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, in the Schedule, for serial number 5 and 6 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

| S. No. | Name of Judge | Name of special court constituted u/s 3 (1) of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalya Adhiniyam, 2011 | Headquarter |
|--------|--|--|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| “5 | Shri Sanjay Chaturvedi, Vith Additional Sessions Judge, Gwalior. | Special Court No. 1 Gwalior. | Gwalior. |
| 6 | Shri Pawan Kumar Sharma, 1st Additional Sessions Judge, Gwalior. | Special Court No. 2 Gwalior. | Gwalior.”. |

फा. क्र. 17(ई) 8-2012-3744-इक्कीस-ब(एक).—मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17(ई)8-2012-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 मार्च, 2012 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 2 मार्च, 2012 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक 5 और 6 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुसूची

| अनुक्रमांक | प्राधिकृत अधिकारी का | मुख्यालय का नाम | अधिकारिता |
|------------|---|-----------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| “5 | श्री संजय चतुर्वेदी, षष्ठम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश तथा पीठासीन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, क्रमांक-1, ग्वालियर. | ग्वालियर | राजस्व जिला श्योपुर, मुरैना, भिण्ड तथा दतिया का समाविष्ट क्षेत्र. |
| 6 | श्री पवन कुमार शर्मा, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश तथा पीठासीन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, क्रमांक-2, ग्वालियर. | ग्वालियर | राजस्व जिला ग्वालियर, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर का समाविष्ट क्षेत्र.”. |

F. No-17(E)8-2012-3744-XXI-B-1(1).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Rule 8 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalya Niyam, 2012, the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in this department's notification No. F. No. 17(E)8-2012-XXI-B(One), dated 2nd March, 2012 which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-Ordinary) dated 2nd March, 2012 namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, for Serial number 5 and 6 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

| S. No. | Name of Authorized Officer | Place of headquarter | Jurisdiction |
|--------|---|----------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| “5 | Shri Sanjay Chaturvedi, Vith Additional Sessions Judge and Presiding Judge, Special Court No. 1, Gwalior. | Gwalior | Area comprising of revenue districts Sheopur, Morena, Bhind and Datia. |
| 6 | Shri Pawan Kumar Sharma, Ist Additional Sessions Judge and Presiding Judge, Special Court No. 2 Gwalior. | Gwalior | Area comprising of revenue districts Gwalior, Shivpuri, Guna and Ashoknagar.”. |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2013

फा. नं. 17(ई) 35-05-इक्कीस-ब(दो).—विधिक सेवा प्राधिकरण, अधिनियम, 1987, (1987 का संख्याक 39) की धारा 9 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नियम 1996 के नियम 14 के उपनियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट जिलों के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 1994 (क्र.1994 का संख्यांक 59) द्वारा यथा संशोधित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (1987 का संख्यांक 39) की धारा 11-क की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निम्न अनुसूची के कॉलम 3 में विनिर्दिष्ट तालुक/ तहसील विधिक सेवा समिति के लिए, राज्य शासन एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को अधिसूचना जारी होने की दिनांक से 2 वर्ष के लिए सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करता है:—

अनुसूची

| क्र. | जिला | तहसील | नाम निर्देशित सदस्य का नाम व पता |
|------|-----------|--------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 01 | अलिराजपुर | अलिराजपुर | 1. श्री तिलोकचन्द जैन, अधिवक्ता 2. श्री जगदीश प्रसाद जोशी, |
| | | 1. जोबट | 1. श्री के. सी. जैन, अधिवक्ता |
| 02 | अशोकनगर | अशोकनगर | 1. श्री एस. एन. सक्सेना, रिटा. प्रोफेसर 2. श्री रामसेवक सोनी, सामाजिक कार्यकर्ता |
| | | 1. मुंगावली 2. चंदेरी | 1. डॉ. महेश कुमार बरया, सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्रीमती अंगूरी बाई, अध्यक्ष जनपद पंचायत |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|------------|---|--|
| 03 | अनूपपुर | अनूपपुर | 1. श्री अनंत के. दास जौहरी, सामाजिक कार्यकर्ता 2. श्री कृष्णदेव मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता |
| 04 | भोपाल | 1. कोतमा 2. राजेन्द्र ग्राम भोपाल | 1. श्री अजय कुमार ताम्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्री श्यामलाल जायसवाल, सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्री पी. सी. कोठारी, अधिवक्ता 2. श्री अचल सिंह, अधिवक्ता |
| 05 | बैतूल | 1. बैरसिया बैतूल | 1. कु. मुबीन फातिमा, सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्री चन्द्रशेखर तिवारी, अधिवक्ता 2. श्रीमती अलका सैनी, समाजसेवी |
| 06 | भिण्ड | 1. मुलताई 2. भैसदेही 3. आमला भिण्ड | 1. श्रीमती मीना परसोटकर, अधिवक्ता/ सामा. कार्यकर्ता 1. श्री वासुदेव कोसे, अधिवक्ता 1. श्री वेद प्रकाश साहू, अधिवक्ता 1. श्री राजेश सिंह कुशवाह 2. श्री रिजवान काजी 3. कु. स्मिता दीक्षित |
| 07 | बड़वानी | 1. लहार 2. मेहगांव 3. गौहद बड़वानी | 1. सुश्री पिंकी गुप्ता 1. श्रीमती कांति भदौरिया 1. श्रीमती संगीता बघेल 1. डॉ. अब्दुल रसीद पटेल, (रिटा. सिविल सर्जन) 2. सुश्री अंजना जैन |
| 08 | बुरहानपुर | 1. अंजड 2. सेंधवा 3. राजपुर 4. खेतिया बुरहानपुर | 1. श्री हाजी हिदायत उल्ला, सामा. कार्यकर्ता 1. श्री राधेश्याम शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्री डॉ. चांद खां, (रिटा. चिकित्सा अधिकारी) 1. श्रीमती वंदना रामेर |
| 09 | छतरपुर | बुरहानपुर | 1. श्री एम. एल. प्रजापति, अधिवक्ता 2. श्री विनोद गुप्ता, अधिवक्ता |
| 10 | छिन्दवाड़ा | 1. नौगांव 2. बिजावर 3. लौंडी (लवकुशनगर) छिन्दवाड़ा | 1. श्रीमती निशी सिंह, समाज सेविका 2. श्री नारायण सिंह परमार, विधि विशेषज्ञ 3. श्री अरविन्द प्रजापति, अधिवक्ता 1. कु. बंदना सक्सेना, समाज सेविका/अधिवक्ता 1. श्रीमती करुण दुबे, समाज सेविका 1. श्री इन्द्रजीत सिंह, अधिवक्ता |
| | | 1. अमरवाडा | 1. श्री वनराज जडेजा 2. सुश्री सुमन तिवारी 1. आदित्य तिवारी |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|----------|---------------|--|
| | | 2. सौंसर | 1. श्री एम. एम. पुरी |
| | | 3. परासिया | 1. श्री पूरन रामलानी |
| | | 4. पांढूर्णा | 1. श्री के. के. देशमुख |
| | | 5. चौरई | 1. श्री आर. के. मिश्रा |
| | | 6. जुन्नारदेव | 1. श्रीमती पुष्पलता राठौर |
| 11 | दमोह | दमोह | 1. डॉ. छविनाथ तिवारी, (रिटा. प्रोफेसर) |
| | | | 2. श्रीमती उषा चतुर्वेदी, (रिटा. जिला विधिक सहायता अधिकारी). |
| | | 1. हटा | 1. श्री नवनीत सिंह, अधिवक्ता |
| | | 2. पथरिया | 1. श्री रमेश कुमार सुरेका, अधिवक्ता |
| 12 | दतिया | दतिया | 1. श्री टी. एन. चतुर्वेदी, अधिवक्ता |
| | | | 2. श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता |
| | | 1. सेंवढा | 1. श्री नारायण दास प्रजापति |
| | | 2. भाण्डेर | 1. श्री आर. एस. श्रीवास्तव, अधिवक्ता |
| 13 | देवास | देवास | 1. सुश्री साधना लोणकर, अधिवक्ता |
| | | | 2. श्रीमती वहीदा रफीक, सामाजिक कार्यकर्ता |
| | | 1. सोनकच्छ | 1. सुश्री कविता सोनी, अधिवक्ता |
| | | 2. बागली | 1. श्री देवेन्द्रगिरी गोस्वामी, अधिवक्ता |
| | | 3. कन्नौद | 1. श्री बाबूलाल मोगा, सामाजिक कार्यकर्ता |
| | | 4. खातेगांव | 1. श्री नरेन्द्र चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ता |
| | | 5. टोंकखुर्द | 1. श्री डी. एस. तंवर, अधिवक्ता |
| 14 | डिण्डौरी | डिण्डौरी | 1. श्री शांतिलाल कनौजे, अधिवक्ता |
| | | | 2. श्रीमती जयश्री शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता |
| | | | 1. श्री विवेक नारायण तिवारी, अधिवक्ता |
| | | | 2. श्री गजानन जोशी, सामाजिक कार्यकर्ता |
| 15 | धार | धार | 1. श्री अजय मण्डलोई, अधिवक्ता |
| | | 1. सरदारपुर | 1. श्री सरदारसिंह चौहान, अधिवक्ता |
| | | 2. कुक्षी | 1. श्री डी. आर. पाटीदार, अधिवक्ता |
| | | 3. मनावर | 1. श्री एम. पी. शर्मा, अधिवक्ता |
| | | 4. बदनावर | 1. श्री नारायण चौहान, अधिवक्ता |
| | | 5. धरमपुरी | 1. श्री राकेश पटेल, अधिवक्ता |
| 16 | गुना | गुना | 2. श्री प्रशान्त सिंह सिसौदिया, अधिवक्ता |
| | | 1. चाचौड़ा | 1. डॉ. आशा कटारिया, सामाजिक कार्यकर्ता |
| | | 2. राघौगढ | 1. श्रीमती राजकुमारी गुर्जर, अधिवक्ता |
| | | 3. आरोन | 1. श्री इफतखार हुसैन, अधिवक्ता |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|------------|---|--|
| 17 | हरदा | हरदा | 1. श्री आर. एस. साकल्ले, अधिवक्ता 2. श्रीमती कुसुम केशवरे, सामाजिक कार्यकर्ता |
| 18 | होशंगाबाद | होशंगाबाद 1. सोहागपुर 2. पिपरिया 3. सिवनी मालवा 4. इटारसी 5. पचमढी | 1. श्री प्रशान्त तिवारी 2. श्री प्रदीप द्विवेदी 1. श्री मंगल प्रसाद रघुवंशी 1. श्री बलबीर सिंह 1. श्रीमती चंचल शास्त्री 1. श्री हेमन्त चौरै 1. डॉ. ओम प्रकाश अग्रवाल |
| 19 | इन्दौर | इन्दौर 1. महु 2. हातौद 3. देपालपुर 4. सांवेर | 1. श्री अरविन्द यादव, अधिवक्ता 2. श्री संजय मेहरा, अधिवक्ता 1. श्री रवि आर्य, अधिवक्ता 1. श्री जयप्रकाश छापोला, अधिवक्ता 1. श्री चेतन हार्डिया, अधिवक्ता 1. श्री एम. एल. कोठारी, अधिवक्ता |
| 20 | जबलपुर | जबलपुर 1. सिहोरा 2. पाटन | 1. डॉ. ममता राव, विधि विशेषज्ञ 2. श्री शाहिद मोहम्मद, सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्री आर. सी. गुप्ता, अधिवक्ता 1. श्री धीरेन्द्र सिंह ठाकुर |
| 21 | झाबुआ | झाबुआ 1. थांदला 2. पेटलावद | 1. श्री नुरुद्दीन पिटोलवाला 2. श्रीमती भारती सोनी 1. श्रीमती कोमल शाहजी 1. श्री अविनाश उपाध्याय |
| 22 | खण्डवा | खण्डवा 1. हरसूद | 1. श्रीमती अनीता सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता 2. श्री राजेश शुक्ला, पैरालीगल वालेंटियर्स 3. श्री प्रशांत मालवीय, अधिवक्ता 1. श्री महेन्द्र अग्रवाल, अधिवक्ता |
| 23 | मण्डला | मण्डला 1. निवास 2. नैनपुर | 1. श्री प्रकाश कुमार पाठक, वरिष्ठ अधि. 2. श्री अरविंद नयम परासर, सामा. कार्यकर्ता 1. श्री श्यामलाल जायसवाल, समाजसेवक 1. श्री ओ. पी. बाजपेयी, अधिवक्ता |
| 24 | मण्डलेश्वर | मण्डलेश्वर 1. बडवाह 2. महेश्वर | 1. श्री दुर्गेश राजदीप, समाजसेवक 2. श्री श्याम मेवाडे, समाजसेवक 1. डॉ. बी. आर. अग्रवाल, समाजसेवक 1. श्री पी. के. गुप्ता, समाजसेवक |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----------|--------------|--|
| | | 3. भीकनगांव | 1. श्रीमती अनिता मंसारे, समाजसेविका |
| | | 4. सनावद | 1. श्री सुनील कुमार व्यास, अधिवक्ता |
| | | 5. खरगौन | 1. श्री संजय त्रिपाठी, अधिवक्ता |
| | | 6. कसरावद | 1. श्री नवीन बाचें, समाजसेवक |
| 25 | मन्दसौर | मन्दसौर | 1. श्री शांतिलाल भण्डारी, समाजसेवी |
| | | 1. सीतामऊ | 2. श्री दिनेश जैन, समाजसेवी |
| | | 2. गरोठ | 1. श्री सुरेश कुमार सोलंकी, अधिवक्ता |
| | | 3. भानपुरा | 1. डॉ. रमेश गुप्ता, समाज सेवक |
| | | 4. नारायणगढ़ | 1. श्री भागचन्द मेहर, समाज सेवक |
| 26 | मुरैना | मुरैना | 1. श्री ओमप्रकाश गुप्ता, अधिवक्ता |
| | | 1. अम्बाह | 1. श्री हरीसिंह सिकरवार, अधिवक्ता |
| | | 2. सबलगढ़ | 2. श्री आलोक अग्रवाल |
| | | 3. जौरा | 1. श्री आर. एस. मिश्रा, अधिवक्ता |
| 27 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | 1. श्री राजेन्द्र सिंह जादौन, अधिवक्ता |
| | | 1. गाडरवारा | 1. श्री सुरेश चन्द्र पाराशर |
| | | 1. नीमच | 1. डॉ. विनोद बिहारी शर्मा, सेवानिवृत्त प्राचार्य |
| 28 | नीमच | नीमच | 2. श्रीमती कुसुम साहू, सामाजिक कार्यकर्ता |
| | | 1. मनासा | 3. श्रीमती मुन्नी पटैल, सामाजिक कार्यकर्ता |
| | | 2. जावद | 1. श्री प्रशांत अग्रवाल, अधिवक्ता, समाजसेवी |
| 29 | पन्ना | पन्ना | 1. श्री अनिल जगधारी, सेवानिवृत्त इंजीनियर |
| | | 1. अजयगढ़ | 2. श्री रामनिवास पाटीदार, अधिवक्ता |
| | | 2. पवई | 1. श्री विरमलाल धनगर |
| 30 | रायसेन | रायसेन | 1. श्री सुधीर अग्रवाल |
| | | 1. बेगमगंज | 1. श्री लक्ष्मीनारायण द्विवेदी, अधिवक्ता |
| | | 2. गैरतगंज | 2. श्री किशोर श्रीवास्तव, अधिवक्ता |
| | | 3. सिलवानी | 1. श्री संजय शर्मा, अधिवक्ता |
| | | 4. उदयपुरा | 1. डॉ. अशोक नामदेव |
| | | 5. बरेली | 1. ममता दुबे, समाजसेविका |
| | | 6. गौहरगंज | 2. श्री यू. पी. एस. सक्सेना, समाजसेवी |
| | | | 1. राजकुमारी, समाजसेविका |
| | | | 1. श्री गुलाब सिंह यादव, समाजसेवी |
| | | | 1. श्री रामस्वरूप श्रीवास्तव, समाजसेवी |
| | | | 1. श्री राम गोपाल वर्मा, समाजसेवी |
| | | | 1. श्री फूलसिंह धाकड़, समाजसेवी |
| | | | 1. श्रीमती सरला, समाजसेविका |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|--------|--|--|
| 31 | राजगढ़ | राजगढ़ 1. ब्यावरा 2. नरसिंहगढ़ 3. जीरापुर 4. खिलचीपुर | 1. श्री मुजीबुर्रहमान, अधिवक्ता 2. श्रीमती अस्मा खान, अधिवक्ता 1. श्री चन्द्रकान्त त्रिपाठी, अधिवक्ता 1. श्री डी. उदावत, अधिवक्ता 1. श्री ओ. पी. पंवार, अधिवक्ता 1. श्रीमती सीमा शर्मा, अधिवक्ता |
| 32 | रीवा | रीवा 1. मरुगंज 2. त्योंथर 3. सिरमौर | 1. डॉ. के. के. परौहा 2. श्रीमती प्रवीण तिवारी, प्राध्यापक, विधि विभाग 1. श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव 1 डॉ. अजीत सोलंकी 1. डॉ. लखनलाल ताम्रकार |
| 33 | सागर | सागर 1. बीना 2. बण्डा 3. रहली 4. देवरी 5. खुरई 6. गढ़ाकोटा | 1. श्री कमलेश सिंह बघेल, (रि. उप वनमण्डल अधि.) 2. श्री हरभजन सिंह राठौर 1. श्री राजकुमार पुरोहित, अधिवक्ता 1. श्री अब्दुल रज्जाक 1. श्री अवधेश कुमार भट्ट, अधिवक्ता 1. श्री अनिल सोनी 1. श्री कृष्ण मुरारी चौबे, अधिवक्ता 1. श्री मानकलाल साहू |
| 34 | सतना | सतना 1. मैहर 2. अमरपाटन 3. नागौद 4. उचेहरा 5. रामपुर बाघेलान | 1. श्री संतोष खरे, अधिवक्ता 2. श्री राजेन्द्र कुमार शुक्ला, अधिवक्ता 1. श्री शंकरदत्त पाण्डेय, अधिवक्ता 1. श्री नरेन्द्र पाण्डेय, अधिवक्ता 1. श्री आर. पी. मिश्रा, अधिवक्ता 1. श्री इन्द्रभान तिवारी, अधिवक्ता 1. श्री शिरोमणि सिंह पटेल, अधिवक्ता |
| 35 | सीहोर | सीहोर 1. बुदनी 2. आष्टा 3. नसरूल्लागंज 4. इछावर | 1. श्री ओमदीप सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता 2. श्री विजेन्द्र श्रीवास्तव, अधिवक्ता 3. श्री प्रदीप चौहान 1. श्री कैलाश मालवीय 1. श्री भेरूलाल 1. श्री लखन यादव 1. श्री सुरपाल सिंह |
| 36 | शहडोल | शहडोल 1. ब्यौहारी | 1. श्री शिवप्रसाद सराफ, अधिवक्ता 2. श्री कृष्णकांत तिवारी 1. श्री रामपाल सिंह |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|----------|--------------|---|
| | | 2. जयसिंहनगर | 1. श्री रामनिहोर राव |
| | | 3. बुढ़ार | 1. डॉ. राजेश त्रिपाठी |
| 37 | शाजापुर | शाजापुर | 1. श्रीमती लाडकुंवर ठाकुर, अधिवक्ता |
| | | | 2. डॉ. राहुल देशमुख |
| | | 1. शुजालपुर | 1. सुश्री दमयंती जोशी |
| | | 2. आगर | 1. सुश्री रेखा यादव, अधिवक्ता |
| | | 3. सुसनेर | 1. श्री अजय कुमार बावरी |
| 38 | श्योपुर | श्योपुर | 1. श्री जमील अहमद कुरैशी, अधिवक्ता |
| | | | 2. श्रीमती सरिता कुशवाह, अधिवक्ता |
| | | 1. विजयपुर | 1. श्री महेन्द्र भारद्वाज, अधिवक्ता |
| 39 | शिवपुरी | शिवपुरी | 1. श्री पी. डी. रावत, अधिवक्ता |
| | | | 2. श्रीमती साधना सक्सेना, अधिवक्ता |
| | | 1. कोलारस | 1. श्री राजाराम गुप्ता, सामाजिक कार्यकर्ता |
| | | 2. पोहरी | 1. श्री राधेश्याम गुप्ता, अधिवक्ता |
| | | 3. करैरा | 1. श्री अशोक जैन, अधिवक्ता |
| | | 4. पिछोर | 1. श्री देवदास पड़रिया, अधिवक्ता |
| | | 5. खनियाधाना | 1. श्री संतोष शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता |
| 40 | सीधी | सीधी | 1. श्री चन्द्रमोहन गुप्ता, अधिवक्ता |
| | | | 2. श्रीमती उषा त्रिपाठी, अधिवक्ता |
| | | 1. मझौली | 1. श्री संतोष श्रीवास्तव, अधिवक्ता |
| | | 2. चुरहट | 1. श्री आदित्यमान सिंह, अधिवक्ता |
| 41 | सिंगरौली | सिंगरौली | 1. श्री त्रिपुरारीनाथ पाण्डेय, अधिवक्ता |
| | | | 2. श्रीमती मधू शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता |
| | | 1. देवसर | 1. श्री कोशलेन्द्र पाठक, अधिवक्ता |
| 42 | टीकमगढ़ | टीकमगढ़ | 1. श्रीमती मनोरमा शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता |
| | | | 2. श्री गोविंद सिंह सिसोदिया, अधिवक्ता |
| | | 1. जतारा | 1. श्रीमती अजय दीक्षित, सामाजिक कार्यकर्ता |
| | | 2. ओरछा | 1. श्री महेन्द्र प्रताप सिंह यादव, सामाजिक कार्यकर्ता |
| | | 3. निवाड़ी | 1. श्रीमती कमलेश निरंजन, सामाजिक कार्यकर्ता |
| 43 | उज्जैन | उज्जैन | 1. श्री बालकृष्ण उपाध्याय, अधिवक्ता |
| | | | 2. श्री हरदयाल सिंह ठाकुर, अधिवक्ता |
| | | 1. खाचरौद | 1. श्री भंवरलाल, अधिवक्ता |
| | | 2. तराना | 1. श्री लक्ष्मीनारायण जोशी, अधिवक्ता |
| | | 3. महिदपुर | 1. श्री राजीव सोनी, अधिवक्ता |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|--------|----------------|---|
| | | 4. बड़नगर | 1. श्री गणेश रावल, अधिवक्ता |
| | | 5. नागदा | 1. श्री भूपेश शर्मा, अधिवक्ता |
| 44 | उमरिया | उमरिया | 1. श्री आत्माराम अवधिया, सामाजिक कार्यकर्ता |
| | | विरसिंहपुरपाली | 1. श्री मुसाफिर राय, सामाजिक कार्यकर्ता |
| 45 | विदिशा | विदिशा | 1. श्री अशोक गोयल, सामाजिक कार्यकर्ता |
| | | 1. बासौदा | 2. श्री दिनेश मिश्रा, अधिवक्ता |
| | | 2. सिरोंज | 1. श्री कांती भाई साह, सामाजिक कार्यकर्ता |
| | | 3. कुरवाई | 1. श्री उमेश पाली, अधिवक्ता |
| | | 4. लटेरी | 1. श्री राजफल जैन, सामाजिक कार्यकर्ता |
| | | | 1. श्री जलालउद्दीन कुरैशी, अधिवक्ता. |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, जिला मजिस्ट्रेट, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश

टीकमगढ़, दिनांक 5 सितम्बर 2013

क्र. 643-आर.डी.एम.-2013.—पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़ के ज्ञाप क्र. पु.अ.-टी.-एसी-1970-पी-13, दिनांक 13 अगस्त 2013 अनुसार प्रस्तावित किया गया कि जिला टीकमगढ़ की पुलिस चौकी चंदेरा एवं बम्हौरीकला का थाना में उन्नयन होने के कारण थाना जतारा के ग्राम पठारी खुरमपुर बिजरौठा, मडोरी एवं वीरपुरा को नवीन थाना चंदेरा में सम्मिलित किया जावे.

जिले के भीतर स्थित थानों/चौकियों की सीमाओं का निर्धारण किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन के ज्ञाप क्रमांक एफ 2(क) 15-99-बी-3-दो, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति के निर्णय अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड-एस में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, डॉ. सुदाम खाडे, जिला दण्डाधिकारी टीकमगढ़ अधिसूचित करता हूँ कि थाना जतारा के ग्राम पठारी, खुरमपुर, बिजरौठा, मडोरी एवं वीरपुरा को नवीन थाना चंदेरा में सम्मिलित किया जावे.

सुदाम खाडे, जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला रीवा, मध्यप्रदेश

रीवा, दिनांक 17 सितम्बर 2013

क्र. 1060-व.लि.-1-2013.—पुलिस अधीक्षक, रीवा के पत्र क्रमांक पु.अ.-रीवा-एसी-1-आई-2023-बी-13, रीवा, दिनांक 17 सितम्बर 2013 में उल्लिखित मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-2(क) 19-2012-बी-3-दो, भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2013 एवं पुलिस मुख्यालय, भोपाल से स्वीकृत 5500 नवीन पदों के अन्तर्गत जिले में नवीन/थाना/चौकी एवं राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा हेतु यातायात चौकियों की नवीन स्वीकृत शासन द्वारा प्रदान की गई है.

यातायात पुलिस में बल वृद्धि व राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा हेतु चौकियों की स्थापना

| स. क्र. (1) | जिले का नाम (2) | चौकी का नाम (3) | चेक पोस्ट का नाम (4) |
|----------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1. | रीवा | चोरहटा बायपास तिराहा | राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच.-7 |

नवीन थाना चौकी की स्थापना

| स. क्र. (1) | जिले का नाम (2) | नवीन स्वीकृत चौकी का नाम (3) | नवीन चौकी के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के नाम (4) |
|----------------|--------------------|---------------------------------|---|
| 1. | रीवा | चौकी गंगेव, थाना मनगवां | गंगेव, मझिगवां, रामपुर, मढीकला, मढीखुर्द, मर्यादपुर, तारीखुर्द, गोंदरी, बुंढवा 390, पचपहरा, खरहना, नीवी, अधीहा 1-2 बसौली 1-4 समान, सर नं. 1'2, मोहनिया, घोपी, कटहा, मेहरबानगंज, जोरौट, जगतीपुरा, हिनौता कोठार, शिवराजपुर, दुबहाई, सुजवार, देवरा, कचूर, बलई टोला, अतरैला, बेलवा कुर्मियान, रमपुरा, बसेडा, मठापडान सेगरान, गुढवा, धवईया कोठार, सथिनी कोठार, हिनौता देवार्थ, तखतटोला सिरसा, बरौहा, पूर्वा 310, नौआ, कौआढान, सोनवर्षा, रजहा, पोडी, रोजवाह, पमार, बधेला, पोखडौर. |
| 2. | रीवा | चौकी पटेहरा, थाना अंतरैला | पटेहरा कैथीटोला कोरिगवां, डाडी वैदनपुरा, भडरा, भउटा, पगारी, गुरगुदा, इटमा, रौली, पटहट, पुरौना, अठठाइसा, गोहटा, लूक चिरिहा, कटांगी गुलरिहा, छीडा, पुरैनिहा. |
| 3. | रीवा | चौकी पिपराही, थाना हनुमना | पिपराही, जडकुड, अमहटा, मनुहाई, धनुहीनार, महादेवा, बीरादेई, नकवार, सरदवान, ब्रम्हागढ़, कुडिया, दानीसोन, कारीकाझ, जोगी बीर. |

नवसृजित चौकी गंगेव में उपरोक्तानुसार कालम नं. (4) में वर्णित कुल ग्राम 57 चौकी पटेहरा, थाना अतरैला में कुल ग्राम 20 एवं चौकी पिपराही, थाना हनुमना में 14 ग्राम एतद्द्वारा सम्मिलित किए जाते हैं उक्त नवसृजित चौकी गंगेव, पटेहरा, पिपराही के संचालन/ संपादन व कार्य तथा प्रक्रिया हेतु समय-समय पर शासन द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों, परिपत्रों एवं विनियमों का विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत निहित उद्देश्यों हेतु कार्य प्रारंभ करने के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है.

एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), स्थानीय निर्वाचन, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश

झाबुआ, दिनांक 19 सितम्बर 2013

क्र. स्था.निर्वा.-मण्डी-2013-14-196.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 11 क खण्ड (घ), (ङ), (च), (ज), (झ), (ञ) के अन्तर्गत सांसद/ विधायक प्रतिनिधि सहकारी विपणन सोसायटी, कृषि विभाग का एक अधिकारी, केन्द्रीय सहकारी बैंक, जिला भूमि विकास बैंक, जिला पंचायत के निम्न दर्शित सदस्यों को कालम (2) में उल्लेखित कृषि उपज मण्डी समिति के लिये नाम निर्दिष्ट करती हूँ :—

| क्र. (1) | मण्डी समिति का नाम (2) | सांसद प्रतिनिधि (3) | विधायक प्रतिनिधि (4) | सहकारी सोसायटी विपणन (5) | कृषि विभाग (6) | जिला केन्द्रीय सह. बैंक (7) | जिला भूमि विकास बैंक झाबुआ (8) | जिला पंचायत झाबुआ (9) |
|-------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|---|------------------------------------|
| 1 | पेटलावद | श्री राधेश्याम आजंन ग्राम करडावद. | श्री मन्नालाल हामड रूपगढ़. | श्री रमेशचन्द्र गुर्जर मठमठ. | श्री उदयसिंह काग ए.डी.ओ. पेटलावद. | श्री भूपेन्द्र सिंह राठौर, उपाध्यक्ष ग्राम बोडायता. | श्री पृथ्वीसिंह राठौड, नि. तारखेडी. | श्री भेरूसिंह चौहान ग्राम करवड. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|-----|--------|--|--|--|---|---|--|---|
| 2 | झाबुआ | श्री निर्भयसिंह ठाकुर, ग्राम पिटोल. | श्री खुनसिंह गुण्डिया, ग्राम कालाखुट (पिटोल). | श्री सोमसिंह सोलंकी, अध्यक्ष ग्राम रजला. | श्री एच. एस. चौहान सहा. संचालक. | श्री विजेन्द्र सिंह राठौर, संचालक ग्राम पारा. | श्री नाथुसिंह राठौर अध्यक्ष, ग्राम कल्याणपुरा. | श्री हेमचन्द्र डामोर ग्राम करडावद. |
| 3 | थांदला | श्री राजेन्द्रसिंह संघवी, मेघनगर. | श्री विरसिंग भूरिया ग्राम खटामा. | श्री फकीरचन्द्र रठौड़, अध्यक्ष थांदला. | श्री जी. एस. देवल, वरिष्ठ कृषि विकास अधि. | श्री गोरसिंह बसुनिया, अध्यक्ष थांदला. | श्री जोसफ मडिया ग्राम गोरियाखादन. | श्री कालू सिंह वालिया, ग्राम चापानेर. |

जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी).

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वा.), जिला सीधी, मध्यप्रदेश

सीधी, दिनांक 20 सितम्बर 2013

क्र. 835-मण्डी निर्वा.-2013.—मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1) के खण्ड (घ), (च), (ज), (झ) एवं (ञ) के अनुसरण में जिला सीधी अन्तर्गत कृषि उपज मण्ड समिति सीधी-238 के लिए नीचे दिये गये तालिका के अनुसार निम्नानुसार प्रतिनिधियों का नाम निर्दिष्ट किया जाता है:—

| स. क्र. | विभाग/संस्था का नाम | नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम | पता |
|---------|-----------------------------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | विधान सभा क्षेत्र 76 चुरहट | श्री गोमती प्रसाद पाण्डेय आत्मज भैयालाल पाण्डेय | ग्राम खड्डी कला पो. खड्डी जिला सीधी. |
| 2. | विधान सभा क्षेत्र 77 सीधी | श्री अर्जुनदास जेठानी आत्मज श्री जठाराम जेठानी | चकदही रोड वार्ड क्र. 19 जिला सीधी. |
| 3. | विधान सभा क्षेत्र 78 सिहावल | श्री राजमणि पटेल आत्मज श्री कुन्जलाल पटेल | ग्राम घोपारी, पो. सुपेला, जिला सीधी. |
| 4. | कृषि विभाग सीधी | श्री जयराम प्रसाद मिश्रा, सहायक संचालक | कार्यालय उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, जिला सीधी. |
| 5. | जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, सीधी. | श्री शत्रुधन तिवारी | संचालक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सीधी. |
| 6. | जिला भूमि विकास बैंक, सीधी | श्री सुभाष सिंह आत्मज श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह | ग्रा. बड़खरा, पो. बड़खरा, जिला सीधी. |
| 7. | जिला पंचायत, सीधी | श्रीमती सतुलिया यादव | सदस्य जिला पंचायत सीधी, जिला सीधी. |

स्वाति मीणा, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), जिला सागर, मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 23 सितम्बर 2013

क्र. क-907-स्था. निर्वा.-2013.—मैं, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), जिला सागर एतद्वारा सूचित करता हूँ कि कृषि उपज मंडी समिति सागर, जिला सागर के लिए मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 11 (1) (घ) के अनुक्रम में म. प्र. कृषि उपज मंडी लोक सभा क्षेत्र सागर की मंडी समिति में श्री भूपेन्द्र सिंह, लोक सभा सदस्य सागर को सदस्य तथा प्रतिनिधि के रूप में नामनिर्दिष्ट किये जाते हैं.

योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी).

सागर, दिनांक 23 सितम्बर 2013

क्र. क-907-स्था. निर्वा.-2013.—मैं, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी) जिला सागर एतद्वारा सूचित करता हूँ कि कृषि उपज मंडी समिति सागर, जिला सागर के लिए मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 11 (1) (घ) के अनुक्रम में म. प्र. कृषि उपज मंडी विधान सभा क्षेत्र सागर की मंडी समिति सागर के लिये निम्नानुसार सदस्य तथा प्रतिनिधि के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाता है:—

| स. क्र. | मंडी समिति का नाम | नामनिर्दिष्ट सदस्य तथा प्रतिनिधि का नाम | पता |
|---------|-------------------|--|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | मंडी समिति, सागर | श्री ज्ञानचंद कुकरेजा/श्री परमानंद कुकरेजा | संतकंवरराम वार्ड, सागर. |

योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी).

सागर, दिनांक 23 सितम्बर 2013

क्र. क-907-स्था. निर्वा.-2013.—मैं, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी) जिला सागर एतद्वारा सूचित करता हूँ कि कृषि उपज मंडी समिति बीना एवं मण्डी बामौरा, जिला सागर के लिए मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 11 (1) (घ) के अनुक्रम में म. प्र. कृषि उपज मंडी विधान सभा क्षेत्र बीना की मंडी समिति बीना एवं मण्डी बामौरा के लिये निम्नानुसार सदस्य तथा प्रतिनिधि के रूप में नामनिर्दिष्ट किये जाते हैं:—

| स. क्र. | मंडी समिति का नाम | नामनिर्दिष्ट सदस्य तथा प्रतिनिधि का नाम | पता |
|---------|-------------------------|---|--------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | मंडी समिति, बीना | श्री नवीन जैन/श्री नेमीचंद जैन | गणेश वार्ड, बीना. |
| 2. | मंडी समिति, मण्डीबामौरा | श्री साहब राज यादव/कल्याण सिंह | बस स्टेण्ड के पास, बीना. |

योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी).

सागर, दिनांक 23 सितम्बर 2013

क्र. क-907-स्था. निर्वा.-2013.—मैं, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, (मण्डी) जिला सागर एतद्वारा सूचित करता हूँ कि कृषि उपज मंडी समिति खुरई, जिला सागर के लिए मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 11 (1) (घ) के अनुक्रम में म. प्र. कृषि उपज मंडी विधान सभा क्षेत्र खुरई की मंडी समिति खुरई में श्री प्रवाल सिंह, ठाकुर निवासी गढौला जागीर, तह. खुरई को सदस्य तथा प्रतिनिधि के रूप में नामनिर्दिष्ट किये जाते हैं:—

योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी).

सागर, दिनांक 23 सितम्बर 2013

क्र. क-907-स्था. निर्वा.-2013.—मैं, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, (मण्डी) जिला सागर एतद्वारा सूचित करता हूँ कि कृषि उपज मंडी समिति रहली एवं गढ़ाकोटा व सागर, जिला सागर के लिए मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972

(क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 11 (1) (घ) के अनुक्रम में म. प्र. कृषि उपज मंडी विधान सभा क्षेत्र रहली की मंडी समिति रहली एवं गढ़ाकोटा व सागर के लिये निम्नानुसार सदस्य तथा प्रतिनिधि के रूप में नामनिर्दिष्ट किये जाते हैं:—

| स. क्र. | मंडी समिति का नाम | नामनिर्दिष्ट सदस्य तथा प्रतिनिधि का नाम | पता |
|---------|---------------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | मंडी समिति, सागर | श्री सतीष पांडे/प्रीतमलाल पांडे | निवासी वार्ड क्र. 11 म. नं. 407 ढाना, सागर. |
| 2. | मंडी समिति, रहली | श्री गुलाब आदिवासी/मानसींग आदिवासी | निवासी ग्राम तालनपुर, तह. रहली. |
| 3. | मंडी समिति गढ़ाकोटा | श्री बिष्णु कुर्मी/शोभा लाल कुर्मी | ग्राम चनौआ बुर्जुग तह. गढ़ाकोटा. |

योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी).

सागर, दिनांक 23 सितम्बर 2013

क्र. क-907-स्था. निर्वा.-2013.—मैं, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, (मण्डी) जिला सागर एतद्वारा सूचित करता हूँ कि कृषि उपज मंडी समिति देवरी एवं केसली जिला सागर के लिए मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 11 (1) (घ) के अनुक्रम में म. प्र. कृषि उपज मंडी विधान सभा क्षेत्र देवरी की मंडी समिति देवरी एवं केसली के लिये निम्नानुसार सदस्य तथा प्रतिनिधि के रूप में नामनिर्दिष्ट किये जाते हैं:—

| स. क्र. | मंडी समिति का नाम | नामनिर्दिष्ट सदस्य तथा प्रतिनिधि का नाम | पता |
|---------|-------------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | मंडी समिति, देवरी | श्री चन्द्रहास गौतम/श्री बाबूलाल गौतम | निवासी ग्राम सुनापंजरा, पो. रसेना तह. देवरी. |
| 2. | मंडी समिति, केसली | श्री जगदीश अवस्थी/जगमोहन प्रसाद अवस्थी | निवासी रामखेरी कुकवारा पो. जैतपुरडोमा, तह. केसली. |

योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी).

सागर, दिनांक 23 सितम्बर 2013

क्र. क-907-स्था. निर्वा.-2013.—मैं, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, (मण्डी) जिला सागर एतद्वारा सूचित करता हूँ कि कृषि उपज मंडी समिति बण्डा एवं शाहगढ़ जिला सागर के लिए मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 11 (1) (घ) के अनुक्रम में म. प्र. कृषि उपज मंडी विधान सभा क्षेत्र बण्डा की मंडी समिति बण्डा एवं शाहगढ़ के लिये निम्नानुसार सदस्य तथा प्रतिनिधि के रूप में नामनिर्दिष्ट किये जाते हैं:—

| स. क्र. | मंडी समिति का नाम | नामनिर्दिष्ट सदस्य तथा प्रतिनिधि का नाम | पता |
|---------|--------------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | मंडी समिति, बण्डा | श्री भूपेन्द्र सिंह/श्री मकुन्द सिंह | निवासी ग्राम सिगदोनी, पो. विनायका तह. बण्डा. |
| 2. | मंडी समिति, शाहगढ़ | श्री राजाराम यादव/श्री रामदयाल यादव | निवासी ग्राम कानीखेड़ी कला पो. बराज, तह. शाहगढ़. |

योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी).

सागर, दिनांक 23 सितम्बर 2013

क्र. क-907-स्था. निर्वा.-2013.—मैं, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, (मण्डी) जिला सागर एतद्वारा सूचित करता हूँ कि कृषि उपज मंडी समिति जैसीनगर एवं राहतगढ़, जिला सागर के लिए मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक

24 सन् 1973) की धारा-11 (1) (घ) के अनुक्रम में म. प्र. कृषि उपज मंडी विधान सभा क्षेत्र सुरखी की मंडी समिति जैसीनगर एवं राहतगढ़ के लिये निम्नानुसार सदस्य तथा प्रतिनिधि के रूप में नामनिर्दिष्ट किये जाते हैं:—

| क्र. (1) | मंडी समिति का नाम (2) | नामनिर्दिष्ट सदस्य तथा प्रतिनिधि का नाम (3) | पता (4) |
|----------|-----------------------|---|----------------------------|
| 1. | मंडी समिति, जैसीनगर | श्री दिलीप पटैल/श्री मूलचंद पटैल | जैसीनगर, जि. सागर. |
| 2. | मंडी समिति, राहतगढ़ | श्री विनोद ओसवाल/श्री रतन चंद ओसवाल | मु. पो. राहतगढ़, जि. सागर. |

योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी).

सागर, दिनांक 23 सितम्बर 2013

क्र. क-907-स्था. निर्वा.-2013.—मैं, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, (मण्डी) जिला सागर एतद्वारा सूचित करता हूँ कि मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा-11 (1) (ज) के अनुक्रम में मंडी समिति में क्षेत्र की ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के प्रतिनिधियों को जिला सागर की प्रत्येक मण्डी के लिये निम्नानुसार सदस्य तथा प्रतिनिधि के रूप में नामनिर्दिष्ट किये जाते हैं :-

| क्र. (1) | मंडी समिति का नाम (2) | नामनिर्दिष्ट सदस्य तथा प्रतिनिधि का नाम (3) | पता (4) |
|----------|-----------------------|---|--|
| 1. | मंडी समिति, सागर | श्रीमती शारदा/श्री के. एल. राजोरे, जि.पं. सदस्य | ग्रा. पं. रजाखेड़ी (शंकरगढ़) सागर. |
| 2. | मंडी समिति, राहतगढ़ | श्री राजकुमार सिंह/ रतन सिंह, जि.पं. सदस्य | ग्रा. ढानानरयावली पो. जरूआखेड़ा. |
| 3. | मंडी समिति, जैसीनगर | श्रीमती मीना/पम्पू राय, जि. पं. सदस्य | ग्रा. पो. सीहोरा, तह. राहतगढ़. |
| 4. | मंडी समिति, बीना | श्री शशी/श्री हरीराम कैथोरिया, जि.पं. सदस्य | होटल रायल मार्क, बीना. |
| 5. | मंडी समिति, खुरई | श्री इन्दर सिंह/पदम सिंह यादव, जि.पं. सदस्य | अचवल वार्ड टेलीफोन आफि., बीना. |
| 6. | मंडी बामोरा | श्री वीरेन्द्र सिंह/गोविंद सिंह रघुवंशी, सरपंच, ग्रा. पं., मंडी बामौरा. | मु. पो. मंडी बामोरा, तह. बीना. |
| 7. | मंडी समिति, रहली | श्री सुरेश/स्व. श्री जगदीश कपास्या, जि.पं. सदस्य | कपास्या ब्रदर्स, दमोह रोड, गढ़ाकोटा. |
| 8. | मंडी समिति, देवरी | श्री लक्ष्मणसिंह/श्री मेहरबान सिंह लोधी, जि.पं. सदस्य. | ग्रा. सुजानपुर, तह. देवरी. |
| 9. | मंडी समिति, गढ़ाकोटा | श्रीमती प्रतिभा पति श्री मेहताब सिंह लोधी, जि.पं. सदस्य. | ग्राम उदयपुरा, पो. तह. गढ़ाकोटा. |
| 10. | मंडी समिति, केसली | श्री पूरन सिंह/श्री नन्ना सिंह, जि.पं. सदस्य | ग्रा. बांकोरी, मु. पो. घाना (केसली). |
| 11. | मंडी समिति, बण्डा | श्री लक्ष्मणसिंह/श्री महादेव सिंह, जि.पं. सदस्य | ग्रा. बरा, मु. पो. बरा, तह. बण्डा. |
| 12. | मंडी समिति, शाहगढ़ | श्रीमती द्रोपती पति श्री देशराज, जि.पं. सदस्य | ग्रा. मुड़ारी बुजुर्ग, पो. जगथर तह. बण्डा. |

योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी).

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश

बुरहानपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2013

क्र. क-नि.शा.-मण्डी-2013-841.—क्र. मण्डी निर्वाचन-2013.—म. प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी) बुरहानपुर कृषि उपज मंडी समिति, बुरहानपुर के लिये एतद् निम्नानुसार प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ:—

| स. क्र. (1) | निर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम व पता (2) | प्रतिनिधि (3) | मण्डी अधिनियम की धारा (4) |
|-------------|--|--|---------------------------|
| 1. | श्री शिवकुमारसिंह पिता प्रतापसिंह कुशवाह निवासी जैनाबाद तहसील बुरहानपुर. | श्री अरूण सुभाषचंद यादव, सांसद खण्डवा लोक सभा क्षेत्र. | 11 (1) (घ) |
| 2. | श्री राजाराम पिता सिताराम पाटिल, निवासी ग्राम दापौरा, तहसील बुरहानपुर. | प्रबंधक सहकारी प्रक्रिया एवं विपणन संस्था सीमित बुरहानपुर. | 11 (1)(ड) |

आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर

Jabalpur, the 7th September 2013

No. F. No-71-B-LA/SLSA/833/2013.—In exercise of the powers conferred under Section 22-B of the Legal Services Authorities Act, 1987 (as amended by Central Act No. 37 of 2002 and hereinafter referred to as the Act), the Madhya Pradesh State Legal Services Authority hereby :—

In Permanent Lok Adalat at the place specified in column no. (2) of the Table below in respect of all Public Utility Services as defined in Clause (b) of Section 22-A of the Act, appoints, after obtaining permission and after making necessary recommendations and seeking nominations, the following officers, whose designations are mentioned in column (3) of the table below, as Chairman and Members of the aforesaid Permanent Lok Adalat. In Civil Districts Shivpuri and Dindori, the Judicial Officers mentioned in column (3) are nominated as Chairmen of Permanent Lok Adalat till the post of Ist Additional District Judges as Chairmen in respective districts are lying vacant :—

TABLE

| S.No. | Place of the Permanent Lok Adalat | Designation of the Officer | Nominated Designation | Area in which Permanent Lok Adalat shall exercise Jurisdiction |
|-------|-----------------------------------|--|------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Shivpuri | Shri Ramesh Kumar Shrivastava 2nd Additional District Judge, Chief Medical & Health Officer, Executive Engineer (Civil) PWD. | Chairman Member Member | Whole of the Civil District- Shivpuri. |
| 2 | Mandla | Shri Rajeev Karmahe, 1st Additional District Judge, Chief Medical & Health Officer, Executive Engineer (Civil) PWD. | Chairman Member Member | Whole of the Civil District- Mandla. |
| 3 | Dindouri | Shri Veerendra Singh Rajput Additional District Judge, (Senior) Chief Medical & Health Officer, Executive Engineer (Civil) PWD. | Chairman Member Member | Whole of the Civil District- Dindouri. |
| 4 | Shajapur | Shri Manoj Kumar Mandloi 1st Additional District Judge, Chief Medical & Health Officer, Executive Engineer (Civil) PWD. | Chairman Member Member | Whole of the Civil District- Shajapur. |

Note.—Public utility Services as defined under Clause (b) of Section 22-A of the Act “Public Utility Service” Means any—

- (i) Transport service for the carriage of passengers of goods by air, road, or water; or
- (ii) Postal, telegraph or telephone Service; or
- (iii) Supply of power, light or water to the public by any establishment; or
- (iv) System of public conservancy, of sanitation; or
- (v) Service in hospital, of dispensary; or
- (vi) Insurance services.

and includes any service which the Central Government or the State Government as the case may be, may in the public interest by notification declare to be a Public Utility Service for purpose of the Chapter VI-A of the Act.

By order of the Madhya Pradesh State legal Service Authority,
ANURAG SHRIVASTAVA, Member-Secy.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 10 सितम्बर 2013

क्र. क्यू-भू-अर्जन-318.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-------|---------|------------|---|---|
| जिला | तहसील | ग्राम | खसरा नम्बर | द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| शिवपुरी | पोहरी | वमनपुरा | 310/1 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी. | पचीपुरा बांयी तट नहर निर्माण एवं अन्य कार्य. |
| | | | 310/2 | | |
| | | | 313 | | |
| | | | 319/1 | | |
| | | | 319/2 | | |
| | | | 360 | | |
| | | | 361 | | |
| | | | 368 | | |
| | | | 369 | | |
| | | | 370 | | |
| | | | 371 | | |
| | | | 372 | | |
| | | | 373 | | |
| | | | 376/1 | | |
| | | | 376/2 | | |
| | | | 377 | | |
| | | | 378 | | |
| | | | 387 | | |
| | | | 529 | | |
| | | | 530 | | |
| 532 | | | | | |
| 548/1 | | | | | |
| 556 | | | | | |
| 557 | | | | | |
| 558 | | | | | |
| 559 | | | | | |
| 636 | | | | | |
| 637 | | | | | |
| 638/2 | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|-----|-----|---------|-------------|-----|
| | | | 650 | 0.24 | |
| | | | 651 | 0.08 | |
| | | | 657 | 0.12 | |
| | | | 675 | 0.01 | |
| | | | 676 | 0.07 | |
| | | | 677 | 0.03 | |
| | | | 678 | 0.11 | |
| | | | 685 | 0.08 | |
| | | | 686 | 0.01 | |
| | | | 687 | 0.09 | |
| | | | 688/2 | 0.02 | |
| | | | 688/3/1 | 0.06 | |
| | | | योग . . | <u>4.41</u> | |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व पोहरी, जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 16 सितम्बर 2013

क्र. 6613-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

| भूमि का विवरण | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन | | |
|---------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|---|--|
| जिला | तहसील/ रा.नि.म. | क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में) | का वर्णन | | |
| (1) | (2) | (4) | (6) | | |
| सिवनी | घंसौर रा.नि.म. धनौरा. | छीतापार प.ह.नं. 41 | 0.91 | संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेवलपमेंट का. लि., जबलपुर. | लखनादौन घंसौर मार्ग के उन्नयन हेतु. |

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी, घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 17 सितम्बर 2013

क्र. भू-अर्जन-(अ-82)-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम एवं प.ह.नं. | भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में) | धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|--------|--------|----------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| मण्डला | नैनपुर | सरीपिपरिया प.ह.नं. 6 | 0.21 | संभागीय प्रबंधक, एम.पी.आर.डी.सी. जबलपुर. | पुल-पहुंच मार्ग के उन्नयन हेतु. |

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 11 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 09-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|-------|-------------|-----------|-------------------------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सीहोर | नसरुल्लागंज | रानीपुरा | 0.405 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर. | छीपानेर उद्वहन योजना के रायजिंग मेन के निर्माण हेतु. |

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सीहोर, दिनांक 19 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 10-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| जिला | भूमि का विवरण | | | धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|-------|---------------|-----------|-------------------------------|---|---|
| | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सीहोर | नसरुल्लागंज | चीचली | 0.907 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर. | घोघरा मध्यम परियोजना की गोपालपुर वितरिका की पीपलया उपनहर. |

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 11-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| जिला | भूमि का विवरण | | | धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|-------|---------------|-------------------|-------------------------------|---|---|
| | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सीहोर | नसरुल्लागंज | बोरखेड़ा खुर्द | 1.100 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर. | घोघरा मध्यम परियोजना की गोपालपुर वितरिका की चीचली उपनहर क्र. 1. |

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 12-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस

आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का विवरण | | | | धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|-------------|-----------|-------------------------------|---|--|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सीहोर | नसरुल्लागंज | बांकोट | 0.196 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर. | घोघरा मध्यम परियोजना की बगबाड़ा वितरिका की डोभा उपनहर. |

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 13-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का विवरण | | | | धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|-------------|-----------|-------------------------------|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सीहोर | नसरुल्लागंज | चीचली | 1.120 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर. | घोघरा मध्यम परियोजना की गोपालपुर वितरिका की चीचली उपनहर क्र. 2. |

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र क्रियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 19 सितम्बर 2013

प. क्र. 2243-प्रका.-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित

व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

| भूमि का विवरण | | | | धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|---------|--------|-------------------------------|--|---|
| जिला | तहसील | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रीवा | त्यौँथर | बुदामा | 0.500 | कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र.-1, रीवा मुख्यालय, त्यौँथर. | बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौँथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन. |

प. क्र. 2245-प्रका.-भू-अर्जन-13.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

| भूमि का विवरण | | | | धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|---------|----------|-------------------------------|--|---|
| जिला | तहसील | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रीवा | त्यौँथर | बड़ागांव | 0.600 | कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र.-1, रीवा मुख्यालय, त्यौँथर. | बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौँथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन. |

प. क्र. 2247-प्रका.-भू-अर्जन-13.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

| भूमि का विवरण | | | | धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|---------|-----------------|-------------------------------|--|---|
| जिला | तहसील | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रीवा | त्यौँथर | शिवपुरवा कोठार. | 0.100 | कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र.-1, रीवा मुख्यालय, त्यौँथर. | बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौँथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन. |

क्र. 2249-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| जिला | भूमि का विवरण | | | धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|------|---------------|------------------|---------------------------------|--|--|
| | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे. में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सतना | अमरपाटन | खजुरी, रामदीन | 0.0312 | कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा (म. प्र.) | पुरवा मुख्य नहर की झिन्ना माइनर के निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2251-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :—

अनुसूची

| जिला | भूमि का विवरण | | | धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|------|---------------|-------------------|---------------------------------|---|--|
| | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे. में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सतना | अमरपाटन | खजुरी, सुखनंदन | 0.0312 | कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा (म. प्र.). | पुरवा मुख्य नहर की झिन्ना माइनर के निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2013

प्र. क्र. अ-82-2012-13-क्र. क-वाचक-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1)

के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना की जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उक्त उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

| भूमि का विवरण | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण |
|---------------|-----------|--------------|---------------------------|--|---|
| जिला | तहसील | ग्राम का नाम | क्षेत्रफल (हेक्टर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बुरहानपुर | बुरहानपुर | इच्छापुर | 0.97 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बुरहानपुर. | देव्हारी तालाब योजना-बांध के निर्माण हेतु अतिरिक्त निजी भूमि का अधिग्रहण. |
| योग . . | | | <u>0.97</u> | | |

अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय एवं भू-अर्जन अधिकारी, बुरहानपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 24 सितम्बर 2013

क्र. क-10609-प्र. भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

| भूमि का विवरण | | | | | धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|-------|-----------|-----------------|-----------------------|---|--|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल | | | |
| (1) | (2) | (3) | कुल खसरा नं. | कुल रकबा (हे. में) | (6) | (7) |
| सागर | केसली | खपराखेड़ा | 26 | 2.13 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र.1 सागर (म. प्र.). | केसली विकासखण्ड के अंतर्गत जोलनपुर जलाशय योजना के नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन. |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—जोलनपुर जलाशय योजना के नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व केसली के कार्यालय तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 24 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 13 अ-82-वर्ष 12-13-भू-अर्जन-8571.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| जिला | भूमि का वर्णन | | | धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|-------|---------------|-----------|--------------------------|--|---|
| | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे. में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बैतूल | भैंसदेही | जुनावानी | 19.497 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई. | जुनावानी जलाशय तथा स्पील एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन. |

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैंसदेही, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 14 अ-82-वर्ष 12-13-भू-अर्जन-8572.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| जिला | भूमि का वर्णन | | | धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|-------|---------------|-----------|--------------------------|--|--|
| | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे. में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बैतूल | भैंसदेही | मासोद | 0.352 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई. | जुनावानी जलाशय की स्पील एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन. |

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैंसदेही, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 15 अ-82-वर्ष 12-13-भू-अर्जन-8573.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा

सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 (2) के अन्तर्गत | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|----------|-----------|-----------------------------|--|--|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे. में) | प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बैतूल | भैंसदेही | झल्लार | 2.861 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई. | रामजीढ़ाना जलाशय तथा स्पील एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक अर्जन. |

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैंसदेही, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।

प्र. क्र. 16 अ-82-वर्ष 12-13-भू-अर्जन-8570.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 (2) के अन्तर्गत | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|----------|-----------|-----------------------------|--|--|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे. में) | प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बैतूल | भैंसदेही | गुदगांव | 1.214 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई. | चिलकापुर जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक अर्जन. |

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैंसदेही, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश प्रसाद मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
गुना, दिनांक 24 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 15-अ-82-2012-13-मावन-417.—चूंकि, राज्य शासन, को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित

अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन | |
|---------------|-------|-------|--|--|--------------------------------------|--|
| जिला | तहसील | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल सर्वे नम्बर रकबा (हेक्टर में) | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| गुना | गुना | मावन | किता-3 | 0.627 | क्षेत्र अधिकारी स्पाइसेस बोर्ड गुना. | स्पाइसेस बोर्ड की बाउण्ड्रीवाल निर्माण हेतु. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुना के न्यायालय एवं क्षेत्र अधिकारी स्पाइसेस बोर्ड गुना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गुना के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 11 सितम्बर 2013

क्र. 8535-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|-------|---|--|---|--|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छिंदवाड़ा | चौरई | ग्राम-केवलारीसंभा ब.नं. 32 प.ह.नं.-03 रा.नि.मं.-चौरई | रकबा 05.223 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. | कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्र.-1 चौरई जिला छिंदवाड़ा (म. प्र.). | पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाले कृषकों के पुनर्वास हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में. |

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्र.-1 चौरई जिला छिंदवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना विस्थापन एवं पुनर्वास उपसंभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

छिन्दवाड़ा, दिनांक 24 सितम्बर 2013

क्र. 8928-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

| जिला | तहसील | भूमि का वर्णन नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. मे.) | धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|-----------|-------|--|--|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छिंदवाड़ा | हरई | ग्राम-साठिया ब.नं. 81 प.ह.नं.-18/51 रा.नि.मं.-हरई | रकबा 01.550 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां। | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा। | पापडा जलाशय के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में। |

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव परियोजना नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिन्दवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खिलचीपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2013

क्र. 8573-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

| जिला | तहसील | भूमि का वर्णन | | धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण |
|--------|----------|------------------------------|-----------------------------|--|--|
| | | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजगढ़ | खिलचीपुर | भवानीपुरा पुस्त बेहड़ीबेह | 4.001 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़. | बेहड़ीबेह तालाब के बांध निर्माण स्वरूप प्रभावित भूमि का अर्जन. |
| | | | योग . . 4.001 | | |

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8577-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

| जिला | तहसील | भूमि का वर्णन | | धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण |
|--------|---------|------------------------------|-----------------------------|--|--|
| | | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजगढ़ | जीरापुर | डोब बामनियाखेड़ी भगोरी | 1.662 2.855 2.296 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़. | डोब तालाब की नहर के निर्माण स्वरूप प्रभावित भूमि का अर्जन. |
| | | | योग . . 6.813 | | |

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 19-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|--------|-----------|--------------------------|-------------------------------|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित क्षेत्रफल लगभग | अधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छतरपुर | बिजावर | जैतपुर | 3.464 | अनुविभागीय अधिकारी बिजावर. | जल संसाधन संभाग पन्ना के अधीन निर्माणाधीन जुनवानी बांध (गिटपिटा विस्तार तालाब योजना) में बांध एवं वेस्टवियर के निर्माण हेतु भू-अर्जन बावत्. |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—जल संसाधन संभाग पन्ना के अधीन निर्माणाधीन जुनवानी बांध (गिटपिटा विस्तार तालाब योजना) में बांध एवं वेस्टवियर के निर्माण हेतु भू-अर्जन बावत्.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अलीराजपुर, दिनांक 23 अगस्त 2013

प्र. क्र. 12-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-----------|-------|--------------------------------|---|------------------------------------|
| जिला | तहसील | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) | अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | का विवरण |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| अलीराजपुर | कट्टीवाडा | मोरधी | 0.24 | डिप्टी चीफ इन्जीनियर (निर्माण) वेस्टर्न रेलवे, (बड़ौदा). | छोटा उदयपुर-धार रेलवे लाईन हेतु |

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. पी. डेहरिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंदसौर, दिनांक 25 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 09-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को उस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजनार्थ |
|---------------|--------|-----------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे. में) | द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| मन्दसौर | शामगढ़ | ग्राम बांसखेड़ी | 0.400 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, मन्दसौर. | जुनापानी तालाब नहर (पूरक प्रकरण). |

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 25 सितम्बर 2013

क्र. 1455-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 (2) के अन्तर्गत | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|------------|---------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| जिला | तहसील | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे. में) | प्राधिकृत अधिकारी | का कारण |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| देवास | हाटपिपल्या | खोकरिया | 2.85 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन देवास. | रामगढ़ तालाब में आने वाली भूमि. |

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय कलेक्टर, जिला देवास, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन देवास एवं कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी बागली में देखा जा सकता है.

क्र. 1457-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 (2) के अन्तर्गत | सार्वजनिक प्रयोजन |
|--|------------|---------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| जिला | तहसील | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे. में) | प्राधिकृत अधिकारी | का कारण |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| देवास | हाटपिपल्या | चाकरपुर | 36.22 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, देवास | रामगढ़ तालाब में आने वाली भूमि. |
| (2) भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय कलेक्टर, जिला देवास कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, देवास एवं कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बागली में देखा जा सकता है. | | | | | |

क्र. 1460-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 (2) के अन्तर्गत | सार्वजनिक प्रयोजन |
|--|------------|---------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| जिला | तहसील | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे. में) | प्राधिकृत अधिकारी | का कारण |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| देवास | हाटपिपल्या | रिछडीया | 92.05 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, देवास. | रामगढ़ तालाब में आने वाली भूमि. |
| (2) भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय कलेक्टर, जिला देवास कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, देवास एवं कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बागली में देखा जा सकता है. | | | | | |

क्र. 1462-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 (2) के अन्तर्गत | सार्वजनिक प्रयोजन |
|--|------------|---------|-----------------------------|-------------------------------------|--|
| जिला | तहसील | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे. में) | प्राधिकृत अधिकारी | का कारण |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| देवास | हाटपिपल्या | महुडिया | 30.73 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, देवास. | रामगढ़ तालाब के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि. |
| (2) भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर जिला देवास कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, देवास एवं कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बागली में देखा जा सकता है. | | | | | |

क्र. 1464-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 (1) के अन्तर्गत | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| जिला | तहसील | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे. में) | प्राधिकृत अधिकारी | का कारण |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| देवास | हाटपिपल्या | रांडीपुरा | 10.78 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, देवास | रामगढ़ तालाब के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि. |

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय कलेक्टर, जिला देवास कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, देवास एवं कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बागली में देखा जा सकता है.

क्र. 1466-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 (1) के अन्तर्गत | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|------------|------------|-----------------------------|--|---|
| जिला | तहसील | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे. में) | प्राधिकृत अधिकारी | का कारण |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| देवास | हाटपिपल्या | बिच्छापुरा | 45.22 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, देवास. | रामगढ़ तालाब के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि. |

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय कलेक्टर, जिला देवास कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, देवास एवं कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बागली में देखा जा सकता है.

क्र. 1468-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 (1) के अन्तर्गत | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|------------|-------|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| जिला | तहसील | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे. में) | प्राधिकृत अधिकारी | का कारण |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| देवास | हाटपिपल्या | गुसट | 7.33 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, देवास | रामगढ़ तालाब के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि. |

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय कलेक्टर, जिला देवास कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, देवास एवं कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बागली में देखा जा सकता है.

क्र. 1470-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 (1) के अन्तर्गत | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|------------|---------|-----------------------------|-------------------------------------|--|
| जिला | तहसील | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे. में) | प्राधिकृत अधिकारी | का कारण |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| देवास | हाटपिपल्या | सालमपुर | 11.94 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, देवास. | रामगढ़ तालाब के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि. |

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय कलेक्टर, जिला देवास कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, देवास एवं कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बागली में देखा जा सकता है.

क्र. 1472-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 (1) के अन्तर्गत | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|------------|----------|-----------------------------|-------------------------------------|--|
| जिला | तहसील | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे. में) | प्राधिकृत अधिकारी | का कारण |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| देवास | हाटपिपल्या | भीलूखेडी | 2.25 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, देवास. | रामगढ़ तालाब की नहर एवं वेस्टवियर में आने वाली भूमि. |

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय कलेक्टर, जिला देवास कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, देवास एवं कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बागली में देखा जा सकता है.

क्र. 1474-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 (1) के अन्तर्गत | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| जिला | तहसील | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे. में) | प्राधिकृत अधिकारी | का कारण |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| देवास | हाटपिपल्या | टप्पा सुकल्या | 35.97 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, देवास. | रामगढ़ तालाब में आने वाली भूमि. |

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय कलेक्टर, जिला देवास कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, देवास एवं कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बागली में देखा जा सकता है.

क्र. 1478-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 (1) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का कारण |
|---------------|------------|--------|--------------------------|--|--|
| जिला | तहसील | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे. में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| देवास | हाटपिपल्या | सरखेडा | 0.88 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, देवास | रामगढ़ तालाब की नहर में आने वाली भूमि. |

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय कलेक्टर, जिला देवास कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, देवास एवं कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बागली में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 28 सितम्बर 2013

क्र. 8722-23-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|--------|-------------|-------------------------------|---|--|
| जिला | तहसील | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजगढ़ | राजगढ़ | बांसखेड़ी | 30.967 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़ | मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना में बांध स्थल हेतु प्रभावित भूमि का भू-अर्जन. |
| | | कराड़िया | 121.914 | | |
| | | | 152.881 | | |
| | | मांजरीखों | 39.685 | | |
| | | लक्ष्मणपुरा | 39.391 | | |
| | | राजली-बे | 3.772 | | |
| | | बानपुर | 38.512 | | |
| | | चौकी | 50.922 | | |
| | | नलखेड़ा | 59.867 | | |
| | | गोपालपुरा | 47.317 | | |
| | | योग . . | 279.466 | | |
| | | कुल योग . . | 432.347 | | |

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजगढ़, दिनांक 30 सितम्बर 2013

क्र. 8765-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|--------|---------------------|-------------------------------|--|---|
| जिला | तहसील | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | (5) | (6) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | |
| राजगढ़ | राजगढ़ | कलालपुरा | 2.932 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़. | मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रथम भाग के 14 ग्रामों की प्रभावित भूमि का भू-अर्जन. |
| | | अभयपुरा | 110.144 | | |
| | | बख्तावरपुरा(राजगढ़) | 106.357 | | |
| | | सूरजपुरा | 121.839 | | |
| | | रायपुरिया घाटा | 54.493 | | |
| | | करनवास | 19.329 | | |
| | | झुमका | 94.836 | | |
| | | बाईहेड़ा | 174.369 | | |
| | | डूंगरपुर | 227.471 | | |
| | | बलवीरपुरा | 76.654 | | |
| | | नेशबोरदा | 66.345 | | |
| | | घोघड़िया जागीर | 119.951 | | |
| | | बीरमपुरा | 20.295 | | |
| | | समेली | 249.732 | | |
| | | योग . . | 1444.748 | | |

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा),
मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 28 सितम्बर 2013

क्र. 8724-25-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—पचौर
(ग) नगर/ग्राम—तलेन

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.985 हेक्टर.

| सर्वे क्र. | रकबा (हे. में) | अर्जित किये जाने वाला रकबा (हेक्टर में) |
|------------|----------------|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1446/1/1 | 4.721 | 1.550 |
| 1447 | 1.728 | 0.070 |
| 1494/2/1 | 0.759 | 0.150 |
| 1483 | 4.085 | 0.005 |
| 1735/1 | 0.226 | 0.210 |
| योग . . | 11.559 | 1.985 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—तलैन कुरावर मार्ग निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण—(1) लोक निर्माण विभाग संभाग, राजगढ़, (2) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय सारंगपुर जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 19 सितम्बर 2013

क्र. 244-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—हनुमना

(ग) ग्राम—पटेहरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.282 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) |
|----------|-------------------------------|
| (1) | (2) |
| 332 | 0.045 |
| 331 | 0.032 |
| 330 | 0.030 |
| 329 | 0.036 |
| 328/1 | |
| 328/2 | 0.023 |
| 328/2ग | |
| 337 | 0.006 |
| 345/1 | 0.030 |
| 345/2 | 0.008 |
| 347/1 | 0.050 |
| 347/2 | 0.005 |
| 348 | 0.090 |
| 290 | 0.053 |
| 294 | 0.008 |
| 289 | 0.004 |
| 291 | 0.016 |
| 292 | 0.016 |
| 293 | 0.072 |
| 284/1 | 0.096 |

| | |
|-------------------------|--------------|
| (1) | (2) |
| 94 | 0.027 |
| 95/1 | 0.090 |
| 95/2 | |
| 98 | 0.028 |
| 99 | 0.008 |
| 100 | 0.012 |
| 103 | 0.012 |
| 104 | 0.020 |
| 106 | 0.045 |
| 165 | 0.040 |
| 164 | 0.024 |
| 162 | 0.030 |
| 158 | 0.016 |
| 99 | 0.008 |
| 100 | 0.012 |
| 103 | 0.012 |
| 104 | 0.020 |
| 106 | 0.045 |
| 165 | 0.040 |
| 164 | 0.024 |
| 162 | 0.030 |
| 158 | 0.016 |
| 163 | 0.010 |
| 157 | 0.009 |
| 156 | 0.006 |
| 153 | 0.009 |
| 152 | 0.060 |
| 150 | 0.030 |
| 129 | 0.144 |
| 127/1 | 0.010 |
| 128 | 0.030 |
| अर्जित रकबा हेक्टे. में | <u>1.282</u> |
| शासकीय | <u>0.006</u> |
| कुल अर्जित रकबा . . | <u>1.288</u> |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—जल संसाधन संभाग, रीवा के अन्तर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 245-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सेमरिया
(ग) ग्राम—भगड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.007 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) |
|------------------|-------------------------------|
| (1) | (2) |
| 2 | 1.769 |
| 3 | 3.294 |
| 4 | 3.286 |
| 5 | 2.618 |
| 6/1 | 0.040 |
| म. प्र. शासन 1 | 0.101 |
| म. प्र. शासन 19 | 0.809 |
| कुल अशासकीय भूमि | 11.007 |
| शासकीय भूमि | 0.91 |
| महायोग . . | 11.917 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—जल संसाधन संभाग, रीवा के अन्तर्गत मरघटी तालाब योजना के बाँध निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 246-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा

- (ख) तहसील—हनुमना
(ग) ग्राम—चौहना नं. 4
(घ) लगभग क्षेत्रफल 0.336 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) |
|---------------------|-------------------------------|
| (1) | (2) |
| 6 | 0.108 |
| 5 | 0.036 |
| 4 | 0.192 |
| अर्जित रकबा | 0.336 |
| शासकीय | निरंक |
| कुल अर्जित रकबा . . | 0.336 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—जल संसाधन संभाग, रीवा के अन्तर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 247-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योथर
(ग) ग्राम—पनासी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.080 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) |
|-------------------------------|-------------------------------|
| (1) | (2) |
| 672/2घ | 0.080 |
| योग-कृषकों की भूमि का योग . . | 0.080 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पपौरा वियर कम स्टापडेम निर्माण.
(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 248-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—तमरा पहाड़
(घ) लगभग क्षेत्रफल—25.70 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) |
|----------------|-------------------------------|
| (1) | (2) |
| 307 | 0.170 |
| 397 | 2.450 |
| 394 | 0.200 |
| 395 | 0.450 |
| 396 | 0.130 |
| 399/1 | 0.500 |
| 399/2 | 7.000 |
| 403/1 | 3.010 |
| 400/1 | 0.320 |
| 400/2 | 4.400 |
| 400/3 | 0.610 |
| 562/396 | 0.300 |
| कुल अशासकीय | 19.54 |
| 306 | 0.240 |
| 398/2 | 5.92 |
| 398/1 | |
| कुल शासकीय . . | 6.160 |
| कुल योग . . | 25.70 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—जल संसाधन संभाग, रीवा के अन्तर्गत तमरा पहाड़ तालाब एवं नहर योजना का निर्माण कार्य.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 249-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सेमरिया
(ग) ग्राम—बम्हौरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.749 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) |
|--------------------|-------------------------------|
| (1) | (2) |
| 63 | 0.231 |
| 62 | 0.202 |
| 64/1क | 0.401 |
| 64/2 | 0.405 |
| 64/3 | 0.093 |
| 67/2 | 0.312 |
| 68/1 | 0.040 |
| 66 | 0.101 |
| 67/1 | 0.079 |
| 61/1 | 0.405 |
| 61/2 | 0.400 |
| 3/5ग | 0.020 |
| 3/5घ | 0.020 |
| 3/5ङ | 0.020 |
| 3/5च | 0.020 |
| म. प्र. शासन 3/5 ख | 0.485 |
| म. प्र. शासन 6/1 ख | 0.085 |
| म. प्र. शासन 33 | 0.085 |
| म. प्र. शासन 13 | 0.228 |
| म. प्र. शासन 6 | 0.008 |
| कुल अशासकीय भूमि | 2.749 |
| शासकीय भूमि | 1.891 |
| महायोग . . | 4.640 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—जल संसाधन संभाग, रीवा के अन्तर्गत मरघटी तालाब योजना के बाँध एवं नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 250-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हनुमना
(ग) ग्राम—चौहना नं. 1
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.358 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) |
|---------------------|-------------------------------|
| (1) | (2) |
| 401 | 0.048 |
| 400 | 0.004 |
| 361/1 | |
| 361/2 | 0.048 |
| 387 | |
| 389 | 0.028 |
| 236 | 0.012 |
| 237 | 0.04 |
| 235 | 0.009 |
| 232/1 | |
| 232/2 | 0.072 |
| 224 | 0.036 |
| 225 | 0.01 |
| 226 | 0.008 |
| अर्जित रकबा | 0.358 |
| शासकीय | निरंक |
| कुल अर्जित रकबा . . | 0.358 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—जल संसाधन संभाग, रीवा के अन्तर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 251-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हनुमना
(ग) ग्राम—चौहना नं. 2
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.477 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) |
|---------------------|-------------------------------|
| (1) | (2) |
| 27/1 | |
| 27/2 | 0.072 |
| 28 | 0.081 |
| 14/1/क | |
| 14/1/ख | |
| 14/1/ग | |
| 14/1/घ | |
| 14/2 | |
| 14/3 | |
| 14/4/क1 | |
| 14/4/क2 | |
| 14/4/ख1 | |
| 14/4/ख2 | 0.168 |
| 7/1/क | |
| 7/1/ख | |
| 7/1/ग | |
| 7/2 | |
| 7/3 | |
| 7/4 | 0.156 |
| अर्जित रकबा | 0.477 |
| शासकीय | निरंक |
| कुल अर्जित रकबा . . | 0.477 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—जल संसाधन संभाग, रीवा के अन्तर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 252-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—हनुमना

(ग) ग्राम—हरदिहाई

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.152 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

609

0.054

615/1/क

615/1/ख

615/1/ग

615/1/घ

615/1/ड

169/1

169/2

165/1

165/2

164/2

164/1

152/1

152/2

152/3

152/4

152/5

152/6

544

545

550

538/1

537

377/1

377/2

377/3

377/4

0.126

0.450

0.126

0.108

0.126

0.324

0.063

0.004

0.009

0.180

0.132

0.045

(1)

376

364

365/1

365/2

365/4

374

373

372

371

367

370

389

390

391

352/2क

352/3

352/4

352/5

352/6

351/1

351/2

351/3

351/4

351/5

348/1

348/2

348/3

348/4

348/5

349/1

349/2

349/3

349/4

349/5

339

338

337

336

335

331

330

326

324

327

322

(2)

0.090

0.004

0.086

0.004

0.008

0.020

0.016

0.020

0.063

0.072

0.081

0.008

0.180

0.144

0.252

0.004

0.004

0.054

0.004

0.072

0.043

0.036

0.018

0.108

0.018

0.018

0.045

| | |
|--------|-------|
| (1) | (2) |
| 319 | 0.036 |
| 318 | 0.027 |
| 251 | 0.036 |
| 252 | 0.028 |
| 253/1 | |
| 253/2 | 0.025 |
| 257 | 0.216 |
| 256 | 0.027 |
| 258 | 0.027 |
| 205 | 0.022 |
| 207 | 0.23 |
| | 0.093 |
| 208 | 0.032 |
| 210 | 0.048 |
| 127/1 | |
| 127/2 | 0.028 |
| 127/1ख | |
| 212 | 0.027 |
| 213 | 0.054 |
| 214 | 0.054 |
| 215 | 0.027 |
| 216 | 0.004 |
| 218 | 0.072 |

अर्जित रकबा : 4.152

शासकीय : 0.054

कुल अर्जित रकबा : 4.206

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—जल संसाधन संभाग, रीवा के अन्तर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 20 सितम्बर 2013

क्र. 254-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| (ख) तहसील—हनुमना | |
| (ग) ग्राम—खैरा नं. 3 | |
| (घ) क्षेत्रफल लगभग—0.180 हेक्टेयर. | |
| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) |
| (1) | (2) |
| 724 | 0.048 |
| 723/1 | 0.048 |
| 722 | 0.052 |
| 721 | 0.02 |
| | अर्जित रकबा : 0.168 |
| | शासकीय : निल |
| | कुल अर्जित रकबा : 0.168 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—जल संसाधन संभाग, रीवा के अन्तर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 255-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

पूरक अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म.प्र.)
(ख) तहसील—हनुमना
(ग) ग्राम—मुरैठा कोठार
(घ) क्षेत्रफल—3.409 हेक्टेयर.

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) |
| (1) | (2) |
| 329/2, 330, 361/3, 362/2 | 0.461 |
| 329/1, 621/2, 361/1, 362/1 | 0.687 |
| 364 | 0.041 |
| 331, 363 | 0.182 |
| 319 | 0.146 |
| 325/2, 295 | 0.157 |
| 354 | 0.049 |

| | |
|---------------------|-------|
| (1) | (2) |
| 355 | 0.057 |
| 583 | 0.178 |
| 627 | 0.178 |
| 299 | 0.113 |
| 621 | 0.040 |
| 628 | 0.328 |
| 646/2, 632/2, 616/2 | 0.359 |
| 652, 570, 572 | 0.433 |

कुल योग कृषक भूमि : 3.409

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नैया बांध योजना अन्तर्गत ग्राम मुरैठा.
- (3) भूमि के नक्शे एवं बांध का निरीक्षण, कलेक्टर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 256-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

पूरक अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म.प्र.)
 (ख) तहसील—हनुमना
 (ग) ग्राम—चौरहा
 (घ) क्षेत्रफल—1.551 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) |
|---------------------------|-------------------------------|
| (1) | (2) |
| 26 | 0.530 |
| 80, 82 | 0.327 |
| 44/1 | 0.121 |
| 44/2 | 0.178 |
| 58 | 0.117 |
| 73 | 0.278 |
| कुल योग कृषक भूमि : 1.551 | |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नैया बांध योजना अन्तर्गत ग्राम चौरहा.
- (3) भूमि के नक्शे एवं बांध का निरीक्षण, कलेक्टर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 257-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
 (ख) तहसील—सेमरिया
 (ग) ग्राम—बम्हनी गढ़ीहा
 (घ) क्षेत्रफल लगभग—8.428 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) |
|------------------|-------------------------------|
| (1) | (2) |
| 40/8 | 3.850 |
| 565 | 0.668 |
| 40/2 | 2.023 |
| 41/1 | 0.809 |
| 41/2 | 0.810 |
| 72 | 0.040 |
| 77/1 | 0.057 |
| 77/2 | 0.057 |
| 77/3 | 0.057 |
| 77/4 | 0.057 |
| म.प्र. शासन 75/1 | 0.839 |

कुल अशासकीय भूमि : 8.428

शासकीय भूमि : 0.839

महायोग : 9.267

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—जल संसाधन संभाग, रीवा के अन्तर्गत मरघटी तालाब योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 258-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक

एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—टीकर
(घ) क्षेत्रफल लगभग—18.768 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) |
|----------|-------------------------------|
| (1) | (2) |
| 1814/1 | 0.480 |
| 1814/2 | 0.480 |
| 1814/3 | 0.480 |
| 1814/4 | 0.480 |
| 1814/5 | 0.480 |
| 1814/6 | 0.480 |
| 1814/7 | 0.491 |
| 1815 | 1.024 |
| 1818 | 1.350 |
| 1819 | 1.44 |
| 1820 | 0.874 |
| 1822 | 1.967 |
| 1824 | 1.177 |
| 1823 | 2.545 |
| 1825 | 1.948 |
| 1826 | 0.480 |
| 1827/1 | 0.272 |
| 1833 | 0.267 |
| 1836 | 0.022 |
| 1827/2 | 0.272 |
| 1837 | 0.540 |
| 1838 | 1.090 |

कुल अशासकीय भूमि : 18.639

शासकीय भूमि : 0.129

महायोग : 18.768

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—जल संसाधन संभाग, रीवा के अन्तर्गत बिलबिलहा तालाब योजना का निर्माण कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 259-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म.प्र.)
(ख) तहसील—हनुमना
(ग) ग्राम—तेदुआ मुतालके पोखडौर
(घ) क्षेत्रफल—0.162 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) |
|----------|-------------------------------|
| (1) | (2) |
| 2/1 | 0.081 |
| 2/2 | 0.081 |

कुल योग कृषक भूमि : 0.162

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गोबरदहा बांध नहर योजना अंतर्गत ग्राम तेदुआ मुतालके पोखडौर.

(3) भूमि के नक्शे एवं बांध का निरीक्षण, कलेक्टर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 260-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म.प्र.)
(ख) तहसील—हनुमना
(ग) ग्राम—खैरा नं. 1
(घ) क्षेत्रफल—0.907 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) |
|----------|-------------------------------|
| (1) | (2) |
| 452 | 0.002 |
| 450 | 0.012 |

| (1) | (2) |
|-----------|-------|
| 449 | 0.014 |
| 448 | 0.014 |
| 307 | 0.014 |
| 447 | 0.072 |
| 446 | 0.02 |
| 311 | 0.004 |
| 312 | 0.016 |
| 313 | 0.021 |
| 314/1 | 0.067 |
| 314/2 | |
| 200 | 0.006 |
| 199 | 0.014 |
| 198 | 0.014 |
| 203 | 0.024 |
| 202/1 | 0.001 |
| 202/2 | |
| 194/1 | 0.012 |
| 194/2 | |
| 193 | 0.072 |
| 192 | 0.002 |
| 191 | 0.072 |
| 190 | 0.001 |
| 189 | 0.019 |
| 122 | 0.012 |
| 123/1 | 0.014 |
| 123/2 | |
| 136 | 0.019 |
| 137 | 0.024 |
| 135 | 0.002 |
| 138 | 0.009 |
| 139 | 0.067 |
| 141 | 0.008 |
| 99 | 0.024 |
| 96/1 | 0.012 |
| 96/2 | |
| 93 | 0.019 |
| 438/1/क/1 | |
| 438/1/क/2 | |
| 438/1ख | |
| 438/1ग | 0.204 |
| 438/1घ | |
| 438/2 | |

अर्जित रकबा : 0.907शासकीय : निलकुल अर्जित रकबा : 0.907

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—जल संसाधन संभाग, रीवा के अन्तर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 261-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
 (ख) तहसील—हनुमना
 (ग) ग्राम—बहुती
 (घ) क्षेत्रफल—0.869 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

| | |
|-----------|-------|
| 515 | 0.090 |
| 514 | 0.012 |
| 520/1/ख | |
| 520/2 | 0.060 |
| 520/3 | |
| 520/4 | |
| 511/1 | 0.005 |
| 511/2 | |
| 499/3/क/1 | 0.093 |
| 499/3/ख/1 | |
| 499/3/क/3 | 0.012 |
| 499/3/ख/3 | |
| 499/3/क/2 | 0.049 |
| 499/3/ख/2 | |
| 501/1 | 0.36 |
| 501/2 | 0.28 |
| 501/1 | |
| 501/2 | |
| 501/3 | 0.096 |
| 501/4 | |
| 501/5 | |

| (1) | (2) |
|-------|-------|
| 502 | 0.012 |
| 503 | 0.012 |
| 491 | 0.024 |
| 489/2 | 0.040 |
| 489/1 | 0.048 |
| 346/1 | 0.032 |
| 346/2 | |
| 349 | 0.040 |
| 351 | 0.009 |
| 353 | 0.014 |
| 354/1 | 0.024 |
| 354/2 | |
| 355/1 | |
| 355/2 | 0.060 |
| 355/3 | |
| 355/4 | |
| 363 | 0.048 |
| 361/1 | |
| 361/2 | 0.014 |
| 360/1 | 0.072 |
| 360/2 | |
| 270/1 | 0.048 |
| 270/2 | |
| 271/1 | 0.024 |
| 271/2 | |
| 170/2 | 0.036 |
| 170/3 | 0.038 |
| 162/1 | |
| 162/2 | 0.036 |
| 162/3 | |
| 280 | 0.032 |
| 281 | 0.012 |
| 160 | 0.012 |

अर्जित रकबा : 0.869

शासकीय : 0.081

कुल अर्जित रकबा : 0.95

एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—हनुमना

(ग) ग्राम—दुआरा

(घ) क्षेत्रफल लगभग—1.319 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

342

0.030

345/2

0.150

345/3

346/1

0.210

346/2

311

0.037

308/1

308/2

0.15

308/3

308/4

307/1

307/2

0.004

307/3

152

0.060

154

0.168

156

0.060

147

0.060

141/1

141/2

0.180

141/3

141/4

142/1

0.120

142/2क

0.00

अर्जित रकबा : 1.319

शासकीय : निल

कुल अर्जित रकबा : 1.319

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—जल संसाधन संभाग, रीवा के अन्तर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—जल संसाधन संभाग, रीवा के अन्तर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 262-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक

क्र. 263-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हनुमना
(ग) ग्राम—सगरा खुर्द
(घ) क्षेत्रफल—0.478 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

212/1, 213, 214

0.478

शा. कृषि प्रक्षेत्र की भूमि का योग : 0.478

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नैया बांध योजना अन्तर्गत सगरा खुर्द नहर.

(3) भूमि के नक्शे एवं बांध का निरीक्षण, कलेक्टर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 264-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हनुमना
(ग) ग्राम—दुबीहा
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.920 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

99/1/क

99/1/ख

99/1/ग

99/2

0.072

(1)

(2)

100

0.024

101/1/क

101/1/ख

101/2

102

105

110/1

110/2

121

111/1क

111/1ख

111/1ग

111/1घ

111/1ङ

111/1च

111/2

111/3

111/4

112/1क

112/1ख

112/1ग

112/1घ

112/2

112/3

112/4

108

14

13

0.228

0.252

0.046

0.072

0.045

0.014

0.066

0.040

0.162

अर्जित रकबा : 0.920

शासकीय : 0.228

कुल अर्जित रकबा : 1.148

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—जल संसाधन संभाग, रीवा के अन्तर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 265-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894

(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हनुमना
(ग) ग्राम—चंदेह
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.868 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) |
|----------|-------------------------------|
| (1) | (2) |
| 211 | 0.060 |
| 212 | 0.056 |
| 210 | 0.060 |
| 209/1 | |
| 209/2 | |
| 209/3 | 0.060 |
| 209/4 | |
| 209/5 | |
| 217 | 0.036 |
| 207 | 0.036 |
| 206 | 0.020 |
| 205/1 | 0.420 |
| 205/2 | |
| 24 | 0.024 |
| 25 | 0.072 |
| 26 | 0.024 |

अर्जित रकबा : 0.868

शासकीय : निल

कुल अर्जित रकबा : 0.868

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—जल संसाधन संभाग, रीवा के अन्तर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 266-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया

जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हनुमना
(ग) ग्राम—बरया
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.841 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) |
|-------------------------|-------------------------------|
| (1) | (2) |
| 45 | 0.004 |
| 46 | 0.140 |
| 47 | 0.077 |
| 49/1 | |
| 49/2क/1 | |
| 49/2क/2 | 0.576 |
| 49/3 | |
| 49/4 | |
| 30/1 | |
| 30/2 | 0.036 |
| 30/3 | |
| 29/1 | |
| 29/2 | 0.008 |
| 29/3 | |
| अर्जित रकबा : 0.841 | |
| शासकीय : निल | |
| कुल अर्जित रकबा : 0.841 | |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—जल संसाधन संभाग, रीवा के अन्तर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 267-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म.प्र.)

| | | |
|------------------------------------|-----|-------|
| (ख) तहसील—मऊगंज | (1) | (2) |
| (ग) ग्राम—टीपा बदौर | 53 | 0.024 |
| (घ) क्षेत्रफल— हेक्टेयर. | 54 | 0.02 |

| | | |
|----------|-------------------------------|-------------------------|
| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) | अर्जित रकबा : 0.360 |
| (1) | (2) | शासकीय : निरंक |
| | | कुल अर्जित रकबा : 0.360 |

| | |
|-------|-------|
| 114 | 0.02 |
| 115/1 | 0.056 |
| 115/2 | 0.224 |
| 119/1 | 0.280 |
| 119/2 | 0.280 |
| 123/1 | 0.320 |
| 123/2 | 0.320 |
| 124/1 | 0.034 |
| 124/2 | 0.070 |

योग कृषक भूमि : 1.214
मध्यप्रदेश शासन : 0.390

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कदुआवन बांध योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 268-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हनुमना
(ग) ग्राम—चौहना नं. 3
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.360 हेक्टेयर.

| | |
|----------|-------------------------------|
| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) |
| (1) | (2) |
| 4/1 | 0.132 |
| 4/2 | |
| 34 | 0.12 |
| 51 | 0.04 |
| 52 | 0.024 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—जल संसाधन संभाग, रीवा के अन्तर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 269-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हनुमना
(ग) ग्राम—टडहर
(घ) क्षेत्रफल लगभग—1.500 हेक्टेयर.

| | |
|----------|-------------------------------|
| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) |
| (1) | (2) |

| | |
|----------|-------|
| 184/1/क, | |
| 184/1/ख | |
| 184/1/ग | |
| 184/1/घ | |
| 184/2 | |
| 184/3 | |
| 184/4 | 0.180 |
| 184/5 | |
| 184/6 | |
| 184/7 | |
| 184/8 | |
| 102/1 | |
| 102/2 | |
| 102/3 | 0.096 |
| 102/4 | |
| 102/5 | |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---------|-------|---------|-------|
| 101/1 | | 125/1/क | |
| 101/2/क | | 125/1/ख | |
| 101/2/ख | | 125/1/ग | |
| 101/3 | 0.054 | 125/1/घ | 0.028 |
| 101/4 | | 125/1/ङ | |
| 101/5 | | 125/1/च | |
| 101/6 | | 125/2 | |
| 104/1 | | 125/3 | |
| 104/2 | | 124 | 0.009 |
| 104/3 | 0.009 | 126/1 | |
| 104/4 | | 126/2 | |
| 104/5 | | 126/3 | |
| 100/1 | | 126/4 | |
| 100/2 | | 126/5 | 0.144 |
| 100/3 | 0.024 | 126/6 | |
| 100/5 | | 127/1 | |
| 100/6 | | 127/2 | |
| 100/7 | | 127/3 | |
| 99/1 | | 127/4/क | |
| 99/2 | | 127/4/ख | 0.124 |
| 99/3 | 0.028 | 127/4/ग | |
| 99/5 | | 127/4/घ | |
| 99/6 | | 127/5 | |
| 99/2/च | | 144/1 | |
| 98/1 | | 144/2 | |
| 98/2/क | | 144/3 | |
| 98/2/ख | 0.039 | 144/4 | |
| 98/2/ग | | 144/5 | 0.056 |
| 98/2/घ | | 144/6 | |
| 98/2/ङ | | 144/7 | |
| 97/1 | | 144/8 | |
| 97/2/क | | 144/9 | |
| 97/2/ख | 0.033 | 146 | 0.084 |
| 97/3 | | 147 | 0.160 |
| 97/4 | | 148/1 | |
| 93 | 0.026 | 148/2 | 0.048 |
| 94/1, | | 148/3 | |
| 94/2 | 0.020 | 148/4 | |
| 90/1 | | 149/1 | |
| 90/2 | 0.050 | 149/2 | 0.048 |
| 90/3 | | 149/3 | |

| | |
|-------|-------|
| (1) | (2) |
| 150/1 | |
| 150/2 | |
| 150/3 | 0.050 |
| 150/4 | |
| 92 | 0.045 |
| 83 | 0.090 |

| | |
|-------------------|--------------|
| अर्जित रकबा : | <u>1.500</u> |
| शासकीय : | <u>0.02</u> |
| कुल अर्जित रकबा : | <u>1.520</u> |

प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हनुमना
(ग) ग्राम—नरसिंहपुर
(घ) क्षेत्रफल—2.592 हेक्टेयर.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—जल संसाधन संभाग, रीवा के अन्तर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 270-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

पूरक सूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मउगंज
(ग) ग्राम—टीपाबदौर
(घ) क्षेत्रफल—0.46 हेक्टेयर.

| | |
|----------|-------------------------------|
| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) |
| (1) | (2) |
| 123/1 | 0.23 |
| 123/2 | 0.23 |
| योग . . | <u>0.46</u> |

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

4/1/क
4/1/ख
4/1/ग
4/1/घ
4/1/ङ
4/2/क
4/2/ख
4/3/ग
4/2/ग
4/3/क
4/3/ख
4/1/च

0.756

12

0.054

15/1/क

15/1/ख

15/2/क

1.44

99/1

99/2

0.342

अर्जित रकबा : 2.538

शासकीय : 0.054

कुल अर्जित रकबा : 2.592

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—जल संसाधन संभाग, रीवा के अन्तर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 271-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक

क्र. 272-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हनुमना
(ग) ग्राम—बकिहा
(घ) क्षेत्रफल—0.879 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) |
|---------------|-------------------------------|
| (1) | (2) |
| 22 | 0.050 |
| 24/1 | 0.09 |
| 24/2 | |
| 20/1/क | 0.018 |
| 31/1 | |
| 31/2 | |
| 31/3 | 0.024 |
| 31/4 | |
| 31/5 | |
| 31/6 | |
| 32/1 | 0.050 |
| 32/2 | |
| 33 | 0.08 |
| 7 | 0.176 |
| 38/1क | |
| 38/1ख | 0.015 |
| 38/2क | |
| 38/2 | |
| 6 | 0.105 |
| 7 | 0.113 |
| 25 | 0.158 |
| अर्जित रकबा : | <u>0.879</u> |

शासकीय : निरंक

कुल अर्जित रकबा : 0.879

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—जल संसाधन संभाग, रीवा के अन्तर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 273-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

पूरक सूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हनुमना
(ग) ग्राम—टटिहरा
(घ) क्षेत्रफल—2.152 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) |
|----------|-------------------------------|
| (1) | (2) |
| 432 | 0.053 |
| 434 | 0.016 |
| 433 | 0.053 |
| 424 | 0.049 |
| 425 | 0.049 |
| 709/4/1 | 0.615 |
| 709/6 | 0.608 |
| 709/4/2 | 0.466 |
| 484 | 0.243 |

योग . . . 2.152

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 17 सितम्बर 2013

क्र. 620-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—कसरावद
(ग) ग्राम—मोहडिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.897 हेक्टेयर

| खसरा नंबर | अर्जित रकबा (हे. में) |
|-----------|--------------------------|
| (1) | (2) |
| 2/1 | 0.632 |
| 22/1 | 0.732 |
| 26 | 0.348 |
| 35/1 | 1.185 |
| योग. | <u>2.897</u> |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की जुनापानी वितरण शाखा की आफटेक आर. डी. 1250 मीटर की निमरानी माईनर पर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 20 सितम्बर 2013

क्र. 8595-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (मूंडला सिंचाई परियोजना की नहर में प्रभावित भूमि) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—राजगढ़,
(ग) ग्राम— 1. दाईं मुख्य नहर निर्माण में प्रभावित भूमि के ग्राम :—
नरसिंहपुरा, खाजला, बड़दला, घोघड़ियाखुर्द, घोघड़ियाकला, हिरनखेड़ा, टांडीकला एवं सेमलीजागीर. क्षेत्रफल 21.290 हेक्टेयर.
2. बाईं मुख्य नहर निर्माण में प्रभावित भूमि के ग्राम :—
मूण्डला, बड़दला, पीपलबेपुरोहित, हिरनखेड़ी, भवानीपुराखुर्द, रामपुरिया, उंचाखेड़ा, उदपुरिया एवं पड़ियाजागीर. क्षेत्रफल 20.617 हेक्टेयर.
(घ) कुल क्षेत्रफल—41.907 हेक्टेयर.

| सर्वे क्रमांक | रकबा (हेक्टर में) |
|---------------|----------------------|
| (1) | (2) |

दाईं मुख्य नहर निर्माण में प्रभावित भूमि के ग्राम

ग्राम—नरसिंहपुरा

| | |
|--------|-------|
| 32/1 | 0.272 |
| 32/2/1 | 0.272 |
| 19 | 0.336 |
| 18/1 | 0.280 |
| 18/5 | 0.120 |
| 11/1 | 0.146 |
| 32/2/2 | 0.272 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| 31/2 | 0.040 | 588 | 0.048 |
| 28/2 | 0.160 | 587/1 | 0.040 |
| 30/1 | 0.016 | 577/2 | 0.050 |
| 148 | 0.008 | 587/2 | 0.040 |
| 147 | 0.008 | 586/1 | 0.052 |
| 28/1 | 0.168 | 591/1 | 0.016 |
| 28/3 | 0.006 | 586/2 | 0.052 |
| 29/2 | 0.060 | 583 | 0.096 |
| 29/3 | 0.060 | 233/1 | 0.036 |
| 29/1 | 0.176 | 233/2 | 0.036 |
| योग . . | <u>2.053</u> | 232 | 0.144 |
| | | 212 | 0.104 |
| ग्राम—हिरनखेड़ी | | 211 | 0.024 |
| 483/2 | 0.392 | 161 | 0.040 |
| 482 | 0.008 | 160 | 0.080 |
| 484 | 0.192 | 153 | 0.040 |
| 485 | 0.008 | 152 | 0.160 |
| 489 | 0.064 | 151 | 0.048 |
| 496 | 0.008 | 454/4 | 0.022 |
| 497 | 0.048 | 452 | 0.166 |
| 498/1 | 0.038 | 591/2 | 0.016 |
| 455/2 | 0.032 | 587/3 | 0.040 |
| 454/2 | 0.022 | योग . . | <u>4.564</u> |
| 498/2 | 0.038 | | |
| 455/1 | 0.032 | ग्राम—भवानीपुराखुर्द | |
| 454/1 | 0.022 | 49/1 | 0.104 |
| 500/1 | 0.075 | 46 | 0.040 |
| 455/3 | 0.032 | 48 | 0.080 |
| 454/3 | 0.022 | 50 | 0.016 |
| 500/2 | 0.077 | 51 | 0.060 |
| 455/4 | 0.032 | 52 | 0.128 |
| 424 | 0.680 | 53/2 | 0.032 |
| 539 | 0.112 | 53/1/2 | 0.063 |
| 576 | 0.080 | 53/1/3 | 0.100 |
| 529/2 | 0.248 | 53/1/1 | 0.100 |
| 568/1 | 0.080 | योग . . | <u>0.723</u> |
| 569/3 | 0.067 | | |
| 568/2 | 0.080 | ग्राम—रामपुरिया | |
| 569/1 | 0.050 | 161 | 0.056 |
| 568/3 | 0.080 | 203 | 0.048 |
| 569/2 | 0.067 | 188/1 | 0.112 |
| 570 | 0.264 | 188/2 | 0.118 |
| 634 | 0.128 | 156 | 0.040 |
| 591/2 | 0.088 | 171 | 0.048 |
| 633 | 0.048 | | |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|-------|----------------------|-------|----------------------|
| 169 | 0.076 | 25 | 0.184 |
| 170/1 | 0.048 | 172/1 | 0.080 |
| 159 | 0.123 | 172/2 | 0.080 |
| 168/1 | 0.029 | 243 | 0.152 |
| 167/1 | 0.088 | 244 | 0.208 |
| 165/1 | 0.136 | 242 | 0.040 |
| 161/1 | 0.056 | 94 | 0.064 |
| 146/1 | 0.008 | 132 | 0.032 |
| 145/2 | 0.016 | 165 | 0.048 |
| 146/2 | 0.008 | | |
| 145/1 | 0.016 | | |
| | <u>योग . . 1.026</u> | | <u>योग . . 2.961</u> |

ग्राम—उंचाखेड़ा

| | |
|---------|-------|
| 246/1 | 0.100 |
| 246/2 | 0.100 |
| 245 | 0.025 |
| 248 | 0.144 |
| 249 | 0.032 |
| 228/1 | 0.062 |
| 95/1 | 0.040 |
| 228/2 | 0.062 |
| 95/2 | 0.040 |
| 228/3 | 0.062 |
| 95/3 | 0.040 |
| 228/4 | 0.062 |
| 95/4 | 0.040 |
| 170 | 0.050 |
| 133/1 | 0.022 |
| 208/1/2 | 0.030 |
| 133/2 | 0.051 |
| 208/1/3 | 0.059 |
| 207 | 0.084 |
| 133/3 | 0.051 |
| 208/1/4 | 0.059 |
| 210 | 0.136 |
| 208/2 | 0.136 |
| 208/1/1 | 0.030 |
| 158 | 0.024 |
| 157 | 0.034 |
| 171 | 0.050 |
| 27 | 0.152 |
| 164 | 0.048 |
| 35 | 0.048 |
| 26 | 0.200 |

ग्राम—उदपुरिया

| | |
|----------|----------------------|
| 102/1 | 0.070 |
| 66/2/2/1 | 0.050 |
| 62/2/2/2 | 0.060 |
| 66/2/2/3 | 0.065 |
| 66/6 | 0.600 |
| 70 | 0.030 |
| 73 | 0.070 |
| 72 | 0.130 |
| 75/1 | 0.160 |
| 80 | 0.040 |
| 81/1 | 0.110 |
| 82/1 | 0.110 |
| 81/2 | 0.070 |
| 82/2 | 0.070 |
| 81/3 | 0.030 |
| 82/3 | 0.030 |
| 81/4 | 0.030 |
| 82/4 | 0.300 |
| 96/8 | 0.070 |
| 97 | 0.264 |
| 96/6 | 0.090 |
| 96/7 | 0.192 |
| 96/9 | 0.040 |
| 76 | 0.100 |
| 79 | 0.100 |
| 88/2 | 0.032 |
| 88/3 | 0.065 |
| 75/3 | 0.012 |
| 88/1 | 0.130 |
| | <u>योग . . 2.850</u> |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|-----------|-------|-------|-------|
| 163/मिन 1 | 0.090 | 254 | 1.911 |
| 163/मिन 2 | 1.300 | 255 | 1.149 |
| 164 | 0.696 | 262 | 1.197 |
| 165 | 0.930 | 263 | 0.373 |
| 168 | 0.121 | 267 | 1.117 |
| 171 | 1.076 | 268 | 0.324 |
| 173 | 0.140 | 269 | 0.340 |
| 175 | 0.020 | 270 | 0.171 |
| 178 | 0.205 | 271 | 0.097 |
| 179 | 0.179 | 272/1 | 0.429 |
| 180 | 0.570 | 272/2 | 0.935 |
| 185 | 0.120 | 273 | 0.129 |
| 189 | 0.660 | 274 | 0.640 |
| 191 | 0.110 | 275 | 1.036 |
| 216 | 0.030 | 277 | 0.470 |
| 218 | 1.408 | 278 | 0.486 |
| 219/मिन-1 | 0.350 | 279 | 0.380 |
| 220 | 0.785 | 281 | 0.583 |
| 221 | 0.405 | 282 | 0.259 |
| 222/मिन-1 | 2.000 | 283 | 0.138 |
| 222/मिन-2 | 0.833 | 284 | 0.632 |
| 223 | 0.283 | 285 | 0.226 |
| 224 | 0.186 | 286 | 0.226 |
| 226 | 0.502 | 287 | 0.146 |
| 228 | 0.437 | 288 | 0.081 |
| 229 | 0.486 | 289 | 0.841 |
| 230 | 0.146 | 290/1 | 0.571 |
| 231 | 1.740 | 290/2 | 0.285 |
| 232 | 0.560 | 290/3 | 0.144 |
| 233 | 0.138 | 290/4 | 0.142 |
| 234 | 0.154 | 291 | 0.170 |
| 235 | 0.567 | 292 | 1.230 |
| 236 | 1.368 | 293 | 0.429 |
| 238 | 0.437 | 294 | 0.243 |
| 242/1 | 1.619 | 295 | 0.340 |
| 243 | 1.012 | 296/1 | 0.129 |
| 244 | 0.437 | 296/2 | 0.162 |
| 245 | 0.462 | 298 | 0.097 |
| 246 | 0.291 | 299 | 0.186 |
| 247 | 2.502 | 300 | 0.769 |
| 249 | 1.149 | 301 | 0.016 |
| 250 | 0.024 | 302 | 0.121 |
| 251 | 0.445 | 303 | 0.162 |
| 252 | 0.057 | 304 | 0.251 |
| 253 | 0.567 | 305 | 0.171 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|-------------|-------|-------|-------|
| 306 | 0.817 | 355 | 0.259 |
| 308 | 0.914 | 356 | 0.032 |
| 309 | 0.519 | 357 | 0.397 |
| 310 | 0.356 | 358 | 0.559 |
| 311 | 1.125 | 359 | 0.825 |
| 314 | 0.745 | 360 | 0.105 |
| 316 | 0.712 | 361 | 0.089 |
| 317 | 2.096 | 362 | 0.235 |
| 318 | 0.049 | 363 | 0.040 |
| 319 | 0.437 | 364 | 0.672 |
| 320/1 | 0.340 | 365 | 0.194 |
| 320/2 | 0.194 | 366 | 0.113 |
| 321 | 0.105 | 367 | 0.462 |
| 322 | 0.097 | 368 | 0.016 |
| 323 | 0.170 | 369 | 0.032 |
| 324 | 0.259 | 370 | 0.381 |
| 325 | 0.591 | 371 | 0.016 |
| 326 | 0.340 | 372 | 0.049 |
| 328 | 0.227 | 373 | 0.040 |
| 329 | 0.049 | 374 | 0.486 |
| 330 | 0.283 | 375 | 0.906 |
| 331 | 0.462 | 376 | 0.283 |
| 332/1 | 0.121 | 377 | 0.235 |
| 332/3 | 0.162 | 378 | 0.121 |
| 332/4 | 0.607 | 379 | 0.016 |
| 333 | 0.299 | 380 | 0.502 |
| 334 | 0.841 | 381 | 1.716 |
| 335 | 0.422 | 382 | 2.225 |
| 336 | 0.389 | 383 | 0.955 |
| 337 | 0.833 | 384 | 1.352 |
| 338/1/मिन 1 | 0.400 | 385 | 0.057 |
| 338/2 | 0.364 | 386 | 0.891 |
| 338/3 | 0.400 | 387 | 0.316 |
| 339 | 0.462 | 388/1 | 1.449 |
| 340/1 | 0.737 | 388/2 | 1.449 |
| 341 | 0.930 | 390 | 1.643 |
| 342 | 0.251 | 391 | 0.340 |
| 343 | 0.785 | 392 | 0.778 |
| 344 | 0.482 | 393 | 1.473 |
| 345/1 | 0.454 | 394 | 0.833 |
| 346 | 0.057 | 395 | 0.275 |
| 347 | 0.162 | 396 | 0.826 |
| 348 | 0.210 | 397 | 0.016 |
| 353 | 0.809 | 398 | 0.040 |
| 354 | 0.252 | 399 | 0.316 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---------|-------|-------|--|
| 400 | 0.696 | 607 | 0.138 |
| 401 | 0.400 | 608 | 0.332 |
| 404 | 0.364 | 610 | 0.097 |
| 405 | 0.503 | 611 | 0.138 |
| 406 | 0.016 | 613 | 1.076 |
| 407 | 0.049 | 614/1 | 0.405 |
| 408 | 1.003 | 614/2 | 0.542 |
| 409 | 0.105 | 615/2 | 1.700 |
| 410 | 0.049 | 616 | 0.275 |
| 456 | 0.364 | 617 | 0.139 |
| 457 | 1.311 | 618 | 0.793 |
| 458 | 1.239 | 619 | 0.040 |
| 465 | 0.421 | 620 | 0.275 |
| 466/1 | 0.040 | 622 | 0.170 |
| 549/1 | 0.688 | 623 | 0.332 |
| 549/2/ख | 1.092 | 625/1 | 0.518 |
| 549/3 | 0.526 | 625/2 | 0.445 |
| 549/4 | 4.395 | 626 | 0.599 |
| 549/5 | 0.243 | 627 | 0.049 |
| 549/6 | 0.397 | 628 | 0.704 |
| 549/7 | 0.267 | 629 | 0.250 |
| 575 | 0.504 | 644 | 0.160 |
| 576 | 0.024 | 645/1 | 0.543 |
| 577 | 0.081 | 667 | 0.170 |
| 578 | 0.121 | 669 | 0.220 |
| 580 | 0.511 | 670 | 0.650 |
| 582/1 | 0.024 | 671 | 0.397 |
| 582/2/ख | 1.416 | 672 | 0.056 |
| 582/3 | 0.526 | 673 | 0.008 |
| 582/4 | 0.505 | 674 | 0.591 |
| 583 | 0.146 | 675 | 0.040 |
| 584/2 | 0.591 | | |
| 585 | 0.380 | | योग . . 147.981 |
| 586 | 0.769 | | |
| 588 | 0.243 | (2) | सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—तड़पेड़ बांध योजना के भराव हेतु. |
| 589 | 0.429 | | |
| 590/1 | 1.942 | (3) | भूमि के नक्शों (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), छत्तरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है. |
| 590/2 | 0.709 | | |
| 591 | 0.243 | | |
| 592 | 0.162 | | |
| 594 | 0.340 | | |
| 595 | 0.057 | | |
| 596 | 0.105 | | |
| 597 | 0.210 | | |
| 598 | 0.200 | | |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 10 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 1-अ-82-12-13-1402.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन— कृषि भूमि

- (क) जिला—देवास
(ख) तहसील—बागली
(ग) ग्राम—रूपलीपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.27 हेक्टेयर.

| सर्वे नंबर | सड़क का रकबा (हेक्टेयर में) |
|------------|-----------------------------|
| (1) | (2) |
| 200 | 0.27 |
| योग . . | 0.27 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—कॉटाफोड-पुंजापुरा सड़क से प्रभावित होने से.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, बागली तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, देवास में किया जा सकता है.

देवास, दिनांक 13 सितम्बर 2013

क्र. 1433-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 01-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—मकान कच्चा 54.72 वर्गमीटर, छप्पर (सामने)
(क) जिला—देवास

- (ख) तहसील—बागली
(ग) ग्राम—भीकुपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—54.72 वर्ग मीटर, 17.00 वर्गमीटर.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—भीकुपुरा तालाब योजना के अंतर्गत ग्राम भीकुपुरा स्थित मकान कच्चा प्रभावित होने से.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, बागली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, देवास के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 11 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 06-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—पटेरा
(ग) नगर/ग्राम—सगौनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.07 हेक्टेयर.

| खसरा नंबर | अर्जित रकबा (हेक्टर में) |
|---------------|--------------------------|
| (1) | (2) |
| 853 में से | 0.03 |
| 855 में से | 0.27 |
| 1008 में से | 0.12 |
| 1007/1 में से | 0.60 |
| 762/1 में से | 0.19 |
| 838 में से | 0.04 |

| | |
|--------------|------|
| (1) | (2) |
| 839 में से | 0.02 |
| 840/1 में से | 0.14 |
| 840/2 में से | 0.02 |
| 840/3 में से | 0.09 |
| 846 में से | 0.17 |
| 848 में से | 0.07 |
| 849 में से | 0.04 |
| 850/2 में से | 0.05 |
| 850/3 में से | 0.06 |
| 850/4 में से | 0.05 |
| 867 में से | 0.11 |

योग . . 2.07

यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—पटेरा
(ग) नगर/ग्राम—गुदरी, कुम्हारी, कुलुवा, चीलघाट
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.31 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

ग्राम—गुदरी

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सगौनी जलाशय की नहर निर्माण के अर्जन में आने वाली भूमि के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखंड, हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

12 में से

0.09

27 में से

0.08

29 में से

0.04

19 में से

0.11

30 में से

0.05

16 में से

0.08

22 में से

0.07

56 में से

0.38

83 में से

0.06

84/2 में से

0.06

87/1 में से

0.06

87/2 में से

0.06

87/3 में से

0.06

योग . . 1.20

दमोह, दिनांक 12 सितम्बर 2013

ग्राम—कुम्हारी

प्र. क्र. अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा,

226 में से

0.03

229 में से

0.03

230 में से

0.02

231 में से

0.04

233 में से

0.05

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 234/1 में से | 0.07 | 278 में से | 0.04 |
| 236/3 में से | 0.01 | 267 में से | 0.11 |
| 250 में से | 0.10 | 282 में से | 0.07 |
| 242 में से | 0.10 | 324 में से | 0.03 |
| 238 में से | 0.01 | 268/1 में से | 0.24 |
| 239 में से | 0.10 | 299 में से | 0.13 |
| 249 में से | 0.10 | 323 में से | 0.01 |
| 298 में से | 0.11 | 269 में से | 0.07 |
| 969/1 में से | 0.01 | 297 में से | 0.08 |
| 969/2 में से | 0.01 | 325 में से | 0.16 |
| 969/3 में से | 0.01 | 265 में से | 0.02 |
| 970 में से | 0.08 | 326 में से | 0.12 |
| 971 में से | 0.12 | 268/2 में से | 0.08 |
| 972 में से | 0.15 | | योग . . 1.46 |
| 973/1 में से | 0.06 | | महायोग . . 5.31 |
| 973/2 में से | 0.08 | | |
| 974 में से | 0.20 | | |
| 976 में से | 0.20 | | |
| 977/1 में से | 0.15 | | |
| 978 में से | 0.10 | | |
| | योग . . 1.93 | | |

ग्राम—कुलुवा

| | |
|------------|--------------|
| 259 में से | 0.08 |
| 258 में से | 0.05 |
| 331 में से | 0.11 |
| 283 में से | 0.05 |
| 285 में से | 0.02 |
| 255 में से | 0.09 |
| 289 में से | 0.08 |
| 348 में से | 0.01 |
| 260 में से | 0.06 |
| 282 में से | 0.06 |
| 344 में से | 0.01 |
| 347 में से | 0.10 |
| | योग . . 0.72 |

ग्राम—चीलघाट

| | |
|------------|------|
| 280 में से | 0.10 |
| 266 में से | 0.04 |
| 279 में से | 0.06 |
| 298 में से | 0.05 |
| 281 में से | 0.05 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—गुदरी हाईकेनाल नहर निर्माण के अर्जन में आने वाली भूमि के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखंड, हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 19 सितम्बर 2013

क्र. 2253-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894

संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—महाडांडी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.001 हेक्टेयर.

| खसरा नंबर | कुल रकबा (हेक्टर में) | अर्जित रकबा (हेक्टर में) |
|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 160 | 0.259 | 0.010 |
| 175 | 0.255 | 0.030 |
| 277 | 0.259 | 0.164 |
| 370 | 0.243 | 0.020 |
| 161 | 0.239 | 0.053 |
| 146 | 0.101 | 0.063 |
| 147 | 0.463 | 0.093 |
| 137 | 0.583 | 0.124 |
| 154 | 0.884 | 0.150 |
| 118 | 0.140 | 0.104 |
| 135 | 0.364 | 0.010 |
| 369 | 1.719 | 0.130 |
| 366 | 0.186 | 0.026 |
| 365 | 0.190 | 0.020 |
| 360 | 0.050 | 0.004 |
| योग . . | | <u>1.001</u> |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—गुढ़, मरुगंज उद्वहन सिंचाई योजना की महाडांडी शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2255-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके

द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—पांती
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.300 हेक्टेयर.

| खसरा नंबर | कुल रकबा (हेक्टर में) | अर्जित रकबा (हेक्टर में) |
|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 224 | 0.507 | 0.090 |
| 767 | 0.085 | 0.060 |
| 456 | 0.210 | 0.062 |
| 733 | 0.125 | 0.055 |
| 739 | 0.181 | 0.090 |
| 735 | 0.107 | 0.005 |
| 190 | 0.328 | 0.076 |
| 120 | 0.093 | 0.040 |
| 121 | 0.035 | 0.033 |
| 122 | 0.020 | 0.020 |
| 125 | 0.178 | 0.040 |
| 126 | 0.020 | 0.020 |
| 130 | 0.458 | 0.038 |
| 179 | 1.169 | 0.053 |
| 132 | 0.133 | 0.087 |
| 134 | 0.405 | 0.160 |
| 148 | 0.084 | 0.072 |
| 147 | 0.186 | 0.024 |
| 146 | 0.333 | 0.084 |
| 144 | 0.061 | 0.040 |
| 1025 | 0.397 | 0.062 |
| 1024 | 0.045 | 0.010 |
| 832 | 0.085 | 0.016 |
| 1010 | 0.231 | 0.063 |
| योग . . | | <u>1.300</u> |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—गुढ़, मरुगंज उद्वहन सिंचाई योजना की पांती शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2257-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—सहिजना
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.783 हेक्टेयर.

| खसरा नंबर | कुल रकबा (हेक्टर में) | अर्जित रकबा (हेक्टर में) |
|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 169 | 0.162 | 0.020 |
| 172 | 0.174 | 0.052 |
| 174 | 0.158 | 0.028 |
| 175 | 0.154 | 0.024 |
| 179 | 0.166 | 0.040 |
| 180 | 0.129 | 0.016 |
| 185 | 0.198 | 0.040 |
| 192 | 0.240 | 0.010 |
| 193 | 0.364 | 0.064 |
| 202 | 1.352 | 0.130 |
| 254 | 0.320 | 0.032 |
| 299 | 0.376 | 0.060 |
| 302 | 0.466 | 0.094 |
| 311 | 0.937 | 0.102 |
| 312 | 0.243 | 0.070 |
| | योग. . . | <u>0.783</u> |
| | शासकीय भूमि . . | - |
| | कुल योग. . . | <u>0.783</u> |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गुढ़, मऊगंज उद्वहन सिंचाई के शीर्ष कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 20 सितम्बर 2013

क्र. 2262-भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—कोटर
(ग) ग्राम—कोटर कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.106 हेक्टेयर.

| खसरा नंबर | रकबा (हेक्टर में) |
|-----------|----------------------|
| (1) | (2) |
| 100/2 | 0.012 |
| 98 | 0.012 |
| 101 | 0.132 |
| 4645 | 0.168 |
| 136/2 | 0.036 |
| 104 | 0.312 |
| 136/1 | 0.020 |
| 107 | 0.180 |
| 110 | 0.124 |
| 109 | 0.128 |
| 74 | 0.312 |
| 75 | 0.112 |
| 70/4 | 0.668 |
| 69 | 0.036 |
| 3586 | 0.055 |
| 4667 | 0.022 |
| 3737 | 0.501 |
| 3734/3 | 0.081 |
| 3058 | 0.040 |
| 4265 | 0.016 |
| 4239 | 0.035 |
| 3569 | 0.064 |
| 1672 | 0.040 |
| योग . . | <u>3.106</u> |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— बाणसागर परियोजना पुरवा मुख्य नहर, माइनर, सब माइनर एवं कुबरी माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 23 सितम्बर 2013

क्र. 2264-भू-अर्जन-कार्य-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सेमरिया
(ग) ग्राम—भमरा कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.460 हेक्टेयर.

| खसरा नंबर | रकबा (हेक्टर में) |
|-----------|----------------------|
| (1) | (2) |
| 71 | 0.392 |
| 387 | 0.040 |
| 1596 | 0.028 |
| योग . . | <u>0.460</u> |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा टेल माइनर/सब माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2266-भू-अर्जन-कार्य-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सेमरिया
(ग) ग्राम—पिपरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.372 हेक्टेयर.

| खसरा नंबर | रकबा (हेक्टर में) |
|-----------|----------------------|
| (1) | (2) |
| 428 | 0.082 |
| 457 | 0.020 |
| 481 | 0.036 |
| 509/426 | 0.234 |
| योग . . | <u>0.372</u> |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा टेल माइनर/सब माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दासौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मन्दासौर, दिनांक 23 सितम्बर 2013

क्र. 2256-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 02-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2)

में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मंदसौर
(ख) तहसील—मंदसौर
(ग) नगर/ग्राम—पिथ्याखेड़ीजागीर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.410 हेक्टेयर.

| सर्वे नं. | रकबा (हेक्टर में) |
|-----------|----------------------|
| (1) | (2) |
| 315 | 0.060 |
| 348 | 0.140 |
| 349 | 0.130 |
| 409 | 0.080 |
| योग . . | 0.410 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है— ग्राम रलायता तालाब नहर निर्माण के लिये.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, मंदसौर के कार्यालय व कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सम्भाग, मन्दसौर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 20 सितम्बर 2013

क्र. भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा

- (ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—रीवा धोबिया टंकी मेडिकल कालेज के पास जिला रीवा.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—92.093 वर्गमीटर.

| खसरा नंबर | अर्जित रकबा (वर्ग मीटर में) |
|-----------|--------------------------------|
| (1) | (2) |
| 3785/2 | 92.093 |
| योग . . | 92.093 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— चिकित्सा महाविद्यालय एवं संजय गांधी अस्पताल के लिये.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवनारायण रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 18 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 1-अ-82-2012-13-591.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—सिरोंज
(ग) ग्राम—अमीरगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल—80.825 हेक्टेयर.

| सर्वे नं. | रकबा (हेक्टर में) |
|-----------|----------------------|
| (1) | (2) |
| 744/1 | 0.130 |
| 744/2 | 1.750 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---------|-------|-------------|---------------|
| 744/3 | 0.720 | 792/3 | 0.814 |
| 744/4 | 1.600 | 793 | 1.607 |
| 744/5 | 1.600 | 794/1 | 1.000 |
| 744/8 | 1.400 | 794/2 | 1.000 |
| 744/7 | 1.600 | 794/3 | 1.022 |
| 745 | 0.443 | 795/1 | 0.327 |
| 749 | 0.202 | 795/2 | 0.316 |
| 752/1 | 0.563 | 795/3/1 | 0.158 |
| 752/2 | 0.563 | 795/3/2 | 0.158 |
| 753 | 0.291 | 795/4 | 0.316 |
| 757/1 | 0.582 | 795/5 | 0.316 |
| 757/2 | 0.582 | 796/1 | 1.012 |
| 759/1 | 0.575 | 796/2 | 2.805 |
| 759/2/1 | 0.288 | 797 | 1.412 |
| 759/2/2 | 0.288 | 798 | 0.260 |
| 763 | 0.392 | 800/1 | 2.987 |
| 764 | 0.253 | 800/2 | 3.713 |
| 765 | 0.354 | 801/1 | 0.619 |
| 766 | 0.367 | 801/2 | 0.619 |
| 768 | 0.126 | 802/2 | 2.506 |
| 769/1 | 0.211 | 802/3 | 2.506 |
| 769/2 | 0.211 | 802/4 | 2.506 |
| 769/3 | 0.211 | 802/5 | 2.506 |
| 770 | 0.746 | 803/1 | 0.291 |
| 771 | 0.055 | 803/2 | 0.291 |
| 775 | 0.440 | 807 | 0.835 |
| 781/1 | 0.055 | 808 | 1.600 |
| 781/2 | 0.550 | 809 | 0.266 |
| 781/3 | 0.851 | 810 | 0.063 |
| 782/2 | 0.209 | 811 | 1.164 |
| 782/1 | 0.208 | 812 | 0.139 |
| 784/1 | 0.013 | 813 | 1.657 |
| 784/2 | 0.012 | 814 | 0.949 |
| 785/1 | 0.434 | 815 | 1.970 |
| 785/2/1 | 0.218 | 817/2 | 0.090 |
| 785/2/2 | 0.217 | 820 | 1.281 |
| 785/3 | 0.434 | 821 | 0.708 |
| 786/1 | 0.379 | 822 | 3.541 |
| 786/2/1 | 0.222 | 824 | 2.086 |
| 786/2/2 | 0.253 | 825/1 | 0.191 |
| 786/3/1 | 0.253 | 830/1 | 1.517 |
| 786/3/2 | 0.221 | 830/2 | 1.000 |
| 787 | 0.873 | 830/3 | 0.760 |
| 789 | 0.316 | 830/4 | 0.370 |
| 790/1 | 1.049 | 894/1 | 1.214 |
| 790/2/1 | 0.525 | 894/2 | 1.383 |
| 790/2/2 | 0.525 | 894/3 | 0.569 |
| 792/1 | 0.548 | 894/4 | 0.128 |
| 792/2/1 | 0.685 | | |
| 792/2/2 | 0.684 | | |
| | | कुल योग . . | <u>80.825</u> |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—गरेठा लघु सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र की भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिरोंज के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 2-अ-82-2012-13-591.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—सिरोंज
(ग) ग्राम—पैकोली
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.935 हैक्टर

| खसरा नं. | रकबा (हैक्टर में) |
|-------------|----------------------|
| (1) | (2) |
| 256 | 1.350 |
| 259 | 0.510 |
| 265 | 1.200 |
| 266 | 0.429 |
| 267 | 0.494 |
| 271 | 0.430 |
| 272 | 0.291 |
| 273 | 0.126 |
| 274/2 | 0.050 |
| 275 | 0.125 |
| 280 | 0.055 |
| 282 | 0.260 |
| 283 | 0.635 |
| 284/1 | 0.450 |
| 284/2 | 0.080 |
| 285 | 1.450 |
| कुल योग . . | 7.935 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—गरेठा लघु सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र की भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिरोंज के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 3-अ-82-2012-13-591.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—सिरोंज
(ग) ग्राम—नाऊखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—15.455 हैक्टर.

| खसरा नं. | रकबा (हैक्टर में) |
|-------------|----------------------|
| (1) | (2) |
| 166/2 | 0.390 |
| 166/3 | 2.000 |
| 166/4 | 1.050 |
| 166/5 | 0.025 |
| 166/6 | 1.800 |
| 166/7/1 | 1.350 |
| 166/7/2 | 0.450 |
| 166/8 | 1.470 |
| 166/9 | 1.420 |
| 166/10 | 1.800 |
| 166/11 | 1.800 |
| 166/12 | 0.950 |
| 166/13 | 0.950 |
| कुल योग . . | 15.455 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—गरेठा लघु सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र की भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिरोंज के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 24 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 2 अ-82-वर्ष 2012-13-भू-अर्जन-8569.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि का अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—भैंसदेही
(ग) नगर/ग्राम—सिवनपाट
(घ) पटवारी हल्का नम्बर—23
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—1.371 हैक्टर

| खसरा नं. | रकबा (हैक्टर में) |
|--------------|-------------------|
| (1) | (2) |
| 154/1 | 0.396 |
| 155/5 | 0.153 |
| 155/2 | 0.172 |
| 199/5 | 0.096 |
| 145/7, 145/6 | 0.203 |
| 143/1 | 0.070 |
| 148/1 | 0.161 |
| 130/1 | 0.031 |
| 130/2 | 0.026 |
| 130/3 | 0.063 |
| योग : | 1.371 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सिवनपाट जलाशय, स्पिल एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैंसदेही के न्यायालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश प्रसाद मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 1030-अ-82-2013-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—शहपुरा
(ग) ग्राम—उर्रम, प.ह.नं. 79
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.219 हैक्टर.

| खसरा नम्बर | अर्जित रकबा (हैक्टर में) |
|------------|-----------------------------|
| (1) | (2) |
| 102/1 | 0.146 |
| 102/2 | |
| 108/1 | 0.182 |
| 108/2 | |
| 112/1 | 0.111 |
| 112/2 | |
| 120 | 0.191 |
| 123 | 0.22 |
| 125 | 0.099 |
| 126 | 0.038 |
| 128 | 0.119 |
| 130/1 | 0.12 |
| 130/2 | |
| 255/1 | 0.048 |
| 255/2 | |
| 261 | 0.115 |
| 264 | 0.06 |
| 313 | 0.02 |
| 314 | 0.038 |
| 351/1 | 0.121 |
| 351/2 | |
| 367 | 0.013 |
| 368 | 0.057 |

| | |
|---------------|--------------|
| (1) | (2) |
| 369 | 0.058 |
| 370 | 0.131 |
| 374 | 0.135 |
| योग निजी भूमि | <u>2.022</u> |

शासकीय भूमि

| | |
|---------------|--------------|
| 124/1, 124/2, | 0.197 |
| 214, 256, 257 | |
| 312 | |
| कुल योग . . | <u>2.219</u> |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—उर्म जलाशय के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, सह भू-अर्जन अधिकारी, पाटन के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 1032-अ-82-2013-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—शहपुरा
(ग) ग्राम—दबकिया, प.ह.नं. 69
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.356 हेक्टर.

| खसरा नम्बर | अर्जित रकबा (हे. में) |
|---------------|--------------------------|
| (1) | (2) |
| 190/1, 190/2 | 0.186 |
| 192 | 0.07 |
| 197 | 0.09 |
| योग निजी भूमि | <u>0.346</u> |

शासकीय भूमि

| | |
|-------------|--------------|
| 191 | 0.01 |
| कुल योग . . | <u>0.356</u> |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—उर्म जलाशय के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, सह भू-अर्जन अधिकारी, पाटन के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 1031-अ-82-2013-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—शहपुरा
(ग) ग्राम—हीरापुर प.ह.नं. 68
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.617 हेक्टर.

| खसरा नम्बर | अर्जित रकबा (हे. में) |
|---------------|--------------------------|
| (1) | (2) |
| 37/2 | 0.294 |
| 69 | 0.18 |
| 68 | 0.345 |
| 58/2 | 0.168 |
| 53 | 0.23 |
| 57 | 0.108 |
| योग निजी भूमि | <u>1.325</u> |

शासकीय भूमि

| | |
|-------------|--------------|
| 55, 56 | 0.072 |
| वन भूमि 27 | 0.22 |
| कुल योग . . | <u>1.617</u> |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—घुघरा नाला (हीरापुर) जलाशय के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, सह भू-अर्जन अधिकारी पाटन के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 1033-अ-82-2013-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894

(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—शहपुरा
(ग) ग्राम—हीरापुर, प.ह.नं. 65
(घ) लगभग क्षेत्रफल—19.32 हेक्टर.

| खसरा नम्बर | अर्जित रकबा (हे. में) |
|---------------|--------------------------|
| (1) | (2) |
| 35/1 | 0.67 |
| 35/2 | 0.26 |
| 152 | 1.26 |
| 70 | 0.50 |
| 71 | 0.50 |
| 69 | 0.60 |
| 140 | 0.22 |
| 131/1 | 0.04 |
| 131/2 | 0.04 |
| 131/3 | 0.04 |
| 131/4 | 0.04 |
| 178 | 0.75 |
| 164 | 0.12 |
| 166 | 0.19 |
| 133 | 0.27 |
| 136 | 0.06 |
| 137 | 0.03 |
| 114/1 | 0.02 |
| 114/2 | 0.03 |
| 117 | 0.03 |
| 119 | 0.03 |
| योग निजी भूमि | 5.70 |

शासकीय भूमि

| | | |
|---------------------|-------|-------|
| 153, 154, 155, 156, | 13.62 | |
| 151, 150, 149, 148, | | |
| 147, 145, 144, 158, | | |
| 157, 159, 160, 161, | | |
| 161, 162, 169, 132, | | |
| 180, 179, 179, 163, | | |
| 165, 167, 168, 134, | | |
| 135, 135, 138, 118, | | |
| 120, 170/1, 172 | | |
| कुल योग . . | | 19.32 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—हीरापुर जलाशय के शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, सह भू-अर्जन अधिकारी पाटन के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 1034-अ-82-2013-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—शहपुरा
(ग) ग्राम—कोहली, प.ह.नं. 63
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.41 हेक्टर.

| खसरा नम्बर | अर्जित रकबा (हे. में) |
|---------------|--------------------------|
| (1) | (2) |
| 215 | 0.35 |
| 218 | 1.98 |
| 219 | 0.99 |
| 220 | 1.09 |
| योग निजी भूमि | 4.41 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—उर्म जलाशय के शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, सह भू-अर्जन अधिकारी पाटन के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 1035-अ-82-2013-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—जबलपुर

| | | |
|----------------------------------|--------------------|-----|
| (ख) तहसील—शहपुरा | (1) | (2) |
| (ग) ग्राम—उर्रम, प.ह.नं. 79 | शासकीय भूमि | |
| (घ) लगभग क्षेत्रफल—29.76 हेक्टर. | 397, 398, 399, | |

| | |
|------------|--------------------------|
| खसरा नम्बर | अर्जित रकबा (हे. में) |
|------------|--------------------------|

| | |
|---------------------|------|
| 394, 395, 403 | 4.67 |
| 408, 410, 52, | |
| 356, 360, 338 | |
| कुल योग . . . 29.76 | |

| | |
|-----|-----|
| (1) | (2) |
|-----|-----|

| | |
|-------|------|
| 392 | 0.05 |
| 393/1 | 1.17 |
| 393/2 | 0.90 |
| 387 | 0.99 |
| 401/1 | 1.41 |
| 401/2 | 1.41 |
| 402/1 | 0.58 |
| 402/2 | 0.59 |
| 402/3 | 0.59 |
| 404 | 0.45 |
| 405 | 0.35 |
| 406 | 0.73 |
| 407 | 0.25 |
| 409 | 2.52 |
| 411 | 1.07 |
| 412 | 1.90 |
| 413 | 0.37 |
| 363 | 0.35 |
| 351 | 0.60 |
| 352 | 0.38 |
| 353 | 0.71 |
| 354 | 0.35 |
| 355 | 0.44 |
| 357 | 0.03 |
| 358 | 0.14 |
| 359 | 0.06 |
| 361 | 0.12 |
| 362 | 0.43 |
| 332 | 1 |
| 333 | 2.29 |
| 334 | 0.44 |
| 336 | 0.20 |
| 337 | 0.26 |
| 339 | 0.45 |
| 340 | 0.31 |
| 341 | 0.65 |
| 342 | 0.55 |

| | |
|---------------|-------|
| कुल निजी भूमि | 25.09 |
|---------------|-------|

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—उर्रम जलाशय के शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, सह भू-अर्जन अधिकारी पाटन के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 1036-अ-82-2013-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—शहपुरा
(ग) ग्राम—किसलई, प.ह.नं. 68
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.425 हेक्टर.

| | |
|------------|--------------------------|
| खसरा नम्बर | अर्जित रकबा (हे. में) |
| (1) | (2) |
| 67 | 0.066 |
| 68 | 0.025 |
| 109 | 0.106 |
| 110 | 0.06 |
| 104 | 0.125 |
| 84/1 | 0.009 |
| 84/2 | 0.023 |
| 83 | 0.036 |
| 86/1 | 0.10 |
| 86/2 | 0.01 |
| 86/3 | 0.059 |
| 53 | 0.235 |
| 151 | 0.053 |
| 196/2 | 0.099 |

| (1) | (2) | (ग) नगर/ग्राम—अमरौदी | |
|---------------|-------|-----------------------------------|-------------|
| 195 | 0.015 | (घ) लगभग क्षेत्रफल —53.21 हेक्टर. | |
| 194 | 0.078 | | |
| 209 | 0.06 | सर्वे नम्बर | अर्जित रकबा |
| 187 | 0.14 | | (हे. में) |
| 167/2 | 0.87 | (1) | (2) |
| 41 | 0.194 | 5/1 | 0.41 |
| 28/2 | 0.033 | 5/2 | 1.00 |
| 28/1 | 0.03 | 5/3 | 1.00 |
| योग निजी भूमि | 1.643 | 5/4 | 0.80 |
| | | 5/5 | 1.00 |
| | | 5/6 | 0.80 |
| | | 6 | 2.09 |
| | | 7/1 | 1.00 |
| | | 7/2 | 1.00 |
| | | 7/3 | 1.00 |
| | | 7/4 | 1.00 |
| | | 7/5 | 1.00 |
| | | 7/6 | 0.88 |
| | | 13 | 0.10 |
| | | 14 | 2.08 |
| | | 15 | 0.83 |
| | | 16/1 | 1.00 |
| | | 17 | 0.95 |
| | | 18 | 1.04 |
| | | 22/1 | 1.00 |
| | | 22/2 | 1.00 |
| | | 24/1 | 1.00 |
| | | 24/2 | 1.00 |
| | | 24/3 | 1.00 |
| | | 24/4 | 0.50 |
| | | 25 | 0.50 |
| | | 26/1 | 1.00 |
| | | 27 | 1.40 |
| | | 30 | 1.04 |
| | | 32 | 0.30 |
| | | 34 | 0.59 |
| | | 38 | 0.08 |
| | | 41 | 0.05 |
| | | 42 | 0.09 |
| | | 44 | 0.08 |
| | | 45 | 0.31 |
| | | 46 | 0.06 |
| | | 47 | 0.05 |
| | | 48 | 0.06 |
| | | 49 | 0.07 |
| | | 52 | 0.09 |
| | | 54 | 0.07 |
| | | 55 | 0.16 |
| | | 56 | 0.57 |
| | | 57 | 1.50 |

शासकीय भूमि

| | |
|---------------------|-------|
| 42, 66, 71, 80, 81 | 0.782 |
| 147, 160, 166, 185, | |
| 186, 188, 189, 191 | |
| कुल योग . . | 2.425 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—घुघरा नाला (हीरापुर) जलाशय के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, सह भू-अर्जन अधिकारी, पाटन के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 24 सितम्बर 2013

क्र. क्यू-भू-अर्जन-2012-164.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—कृषि भूमि

(क) जिला—शिवपुरी

(ख) तहसील—पोहरी

| | |
|-------|-----------------|
| (1) | (2) |
| 58 | 0.90 |
| 60 | 1.10 |
| 62 | 0.41 |
| 65 | 1.50 |
| 66 | 1.50 |
| 67 | 1.50 |
| 68 | 1.50 |
| 69 | 1.50 |
| 70 | 1.50 |
| 71 | 0.66 |
| 72/1 | 0.16 |
| 72/2 | 0.02 |
| 93/1 | 1.00 |
| 94 | 0.01 |
| 96 | 1.50 |
| 97 | 0.64 |
| 100 | 0.06 |
| 102 | 0.07 |
| 103 | 0.17 |
| 104 | 0.12 |
| 105 | 0.13 |
| 106 | 0.14 |
| 107/1 | 0.03 |
| 107/2 | 0.06 |
| 108 | 0.07 |
| 109 | 0.12 |
| 111/1 | 0.25 |
| 111/2 | 0.25 |
| 112 | 0.15 |
| 118 | 0.21 |
| 119 | 0.23 |
| 121 | 0.02 |
| 129 | 0.05 |
| 131 | 0.05 |
| 235 | 1.95 |
| 237 | 0.85 |
| 238 | 0.20 |
| 240 | 0.08 |
| | योग . . . 53.21 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पच्चीपुरा तालाब लघु सिंचाई परियोजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 25 सितम्बर 2013

क्र. 44-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—मानपुरा
(घ) क्षेत्रफल—2.95 हेक्टेयर.

हर्सी उच्चस्तरीय सिन्ध परियोजना फेज- II नहर (आर. डी. 72.88 कि. मी. से 110 कि. मी.) के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव.

| सर्वे क्र. | सर्वे क्र. का कुल रकबा (हे. में) | नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा (हे. में) |
|------------|----------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 158 | 1.370 | 0.410 |
| 163 | 0.620 | 0.180 |
| 80 | 0.710 | 0.010 |
| 88 | 0.650 | 0.130 |
| 157 | 1.940 | 0.340 |
| 160 | 1.120 | 0.090 |
| 161 | 0.960 | 0.390 |
| 162 | 0.450 | 0.190 |
| 184 | 0.180 | 0.050 |
| 89 | 0.630 | 0.350 |
| 91 | 0.080 | 0.020 |
| 92 | 0.360 | 0.140 |
| 93 | 0.310 | 0.160 |
| 95 | 0.730 | 0.220 |
| 90 | 0.490 | 0.020 |
| 182 | 0.490 | 0.070 |
| 183 | 0.380 | 0.140 |
| 164 | 1.460 | 0.020 |
| 147 | 1.280 | 0.020 |

योग . . . 2.95

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर निर्माण हेतु आरोली शाखा नहर के निर्माण बावत्.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

संशोधित अधिसूचना

भोपाल दिनांक 27 सितम्बर 2013

क्र. एफ-06-08-2013-चौवन-1.—मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-08-19-पच्चीस-4-1995, दिनांक 30 अगस्त 1995 की सूची के सरल क्रमांक-86 पर “रूआला/रूहेला” जाति को अधिसूचित किया गया है. एतद्वारा आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

| पिछड़ा वर्ग की सूची क्रमांक (1) | जाति (2) | परम्परागत व्यवसाय (3) | कैफियत (4) |
|------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------|
| 86 | रूआला/रूहेला | कृषि | - |

क्र. एफ-06-09-2013-चौवन-1.—मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-08-05-पच्चीस-4-1984, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 के द्वारा सूची में सरल क्रमांक-68 पर “रजभर” जाति को अधिसूचित किया गया है. अब एतद्वारा निम्नानुसार संशोधन प्रतिस्थापित किया जाता है:—

| पिछड़ा वर्ग की सूची क्रमांक (1) | जाति (2) | परम्परागत व्यवसाय (3) | कैफियत (4) |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------|
| 68 | रजभर/राजभर | कृषि, मजदूरी | - |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरंजना रे, प्रमुख सचिव.

अधिसूचना

भोपाल दिनांक 1 अक्टूबर 2013

क्र. एफ-06-04-2013-चौवन-1.—राज्य शासन, द्वारा मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची के सरल क्रमांक 92 पर विद्यमान पाकिस्तान के बहावलपुर प्रांत से विस्थापित होकर सीहोर शहर व बुदनी नगर में बसाये गये बहावलपुरी मूल परिवार के लोगों को पिछड़ा वर्ग की सूची में निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

| पिछड़ा वर्ग की सूची क्रमांक (1) | जाति/उपजाति/ वर्ग/समूह (2) | परम्परागत व्यवसाय (3) | कैफियत (4) |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|
| 92 | बहावलपुरी | कृषि, मजदूरी | विद्यमान पाकिस्तान के बहावलपुर प्रांत से विस्थापित होकर सीहोर शहर व बुदनी नगर में बसाये गये मूल परिवार के लोगों को पिछड़ा वर्ग मान्य किया जाता है. |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरंजना रे, प्रमुख सचिव.